अध्याय - 8

वर्तमान आरक्षण-नीति का मूल्यांकन व शिक्षकों के सुझाव

पिछले अध्याय में आरक्षित श्रेणी के छात्रों के कक्षागत व्यवहार व उनकी शैक्षिक योग्यता के संबंध में शिक्षक उत्तरदाता के अनुभवों व विचारों को जाना गया। साथ ही यह भी जाना गया कि वे इन्हें मिलने वाली सुविधाओं को किस प्रकार आंकते हैं तथा समाज व शिक्षण–संस्थानों में जातीय भेदभाव की विद्यमता को लेकर वे क्या सोचते हैं। शोध के प्रस्तुत भाग में वर्तमान आरक्षण-नीति के औचित्य व उसकी सफलता-असफलता के संबंध में शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को जाना गया है। साथ ही शिक्षक उत्तरदाताओं से इस नीति को अधिक प्रभावशाली व निष्पक्ष बनाने के लिए उनके सुझाव भी लिए गए हैं।

8.1 क्या आरक्षण जारी रहे ?

8.1.i आपके विचार से आरक्षण-नीति

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूरी तरह समाप्त कर देनी चाहिए।	54	22.5
2. बिना किसी संशोधन के अपने वर्तमान रूप में जारी रहनी चाहिए।	29	12.1
3. आवश्यक सुधारों के पश्चात् जारी रहनी चाहिए।	157	65.4
कुल	**240**	**100.0**

कुल उत्तरदाताओं में से 65.4% शिक्षक आरक्षण-नीति को आवश्यक सुधारों के पश्चात जारी रखे जाने के पक्ष में हैं जेबकि 22.5% इस नीति को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। केवल 12.1% शिक्षक उत्तरदाता ही इसे बिना किसी संशोधन के अपने वर्तमान रूप में जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर 77.5% शिक्षक उत्तरदाता इस नीति को किसी न किसी रूप में जारी रखे जाने के पक्ष में हैं जो इस नीति के लिए एक शुभ संकेत है।

8.1.i क संस्था के आधार पर

विकल्प	स्कूल	कालेज
1. पूरी तरह समाप्त कर देनी चाहिए।	43 (24.6)	11 (16.9)
2. बिना किसी संशोधन के अपने वर्तमान रूप में जारी रहनी चाहिए।	23 (13.1)	6 (9.2)
3. आवश्यक सुधारों के पश्चात् जारी रहनी चाहिए।	109 (62.3)	48 (73.8)
कुल	**175**	**65**

चित्र संख्या 8.1

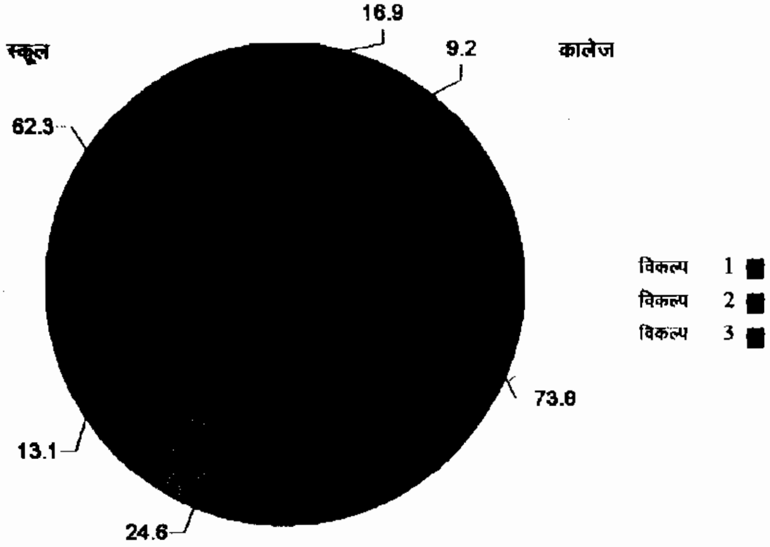

स्कूलों की तुलना में कालेजों के 11.5% अधिक शिक्षक (कुल 73.8%) इस नीति को आवश्यक सुधारों के पश्चात् जारी रखे जाने के पक्ष में हैं जबकि कालेजों की तुलना में स्कूलों के 7.7% अधिक शिक्षक (कुल 24.6%) इस नीति को पूरी तरह समाप्त किये जाने के पक्ष में हैं। अर्थात् स्कूली शिक्षकों की तुलना में कालेज के शिक्षकों का दृष्टिकोण आरक्षण-नीति को जारी रखे जाने के संबंध में उदार है यद्यपि वे ही इसका सर्वाधिक विरोध करते रहे हैं।

8.1.i ख श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. पूरी तरह समाप्त कर देनी चाहिए।	1 (2.0)	53 (28.0)
2. बिना किसी संशोधन के अपने वर्तमान रूप में जारी रहनी चाहिए।	19 (37.3)	10 (5.3)
3. आवश्यक सुधारों के पश्चात् जारी रहनी चाहिए।	31 (60.8)	126 (66.7)
कुल	**51**	**189**

चित्र संख्या 8.2

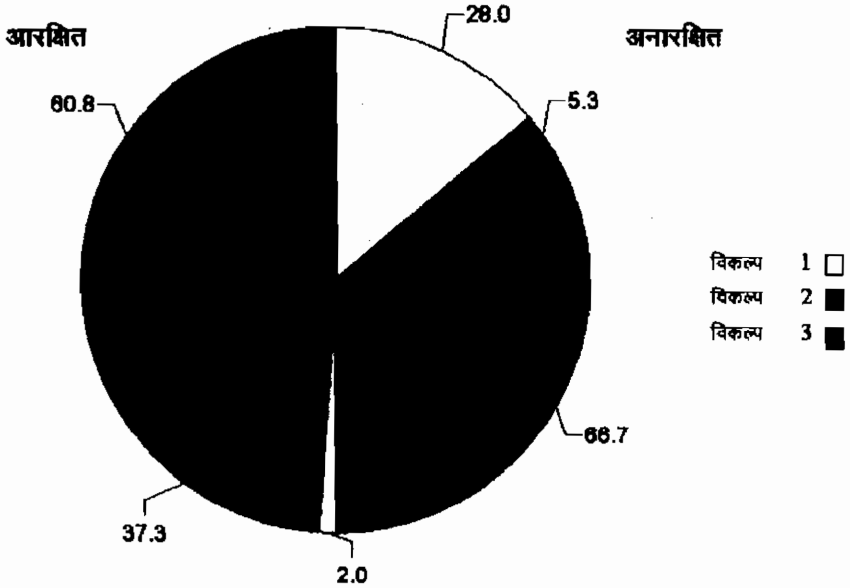

आरक्षित व अनारक्षित, दोनों श्रेणियों के क्रमशः 60.8% व 66.7% शिक्षक उत्तरदाता आरक्षण-नीति को आवश्यक सुधारों के पश्चात जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को भी लगता है कि वर्तमान आरक्षण-नीति में सुधार की आवश्यकता व गुंजाइश है। दूसरी तरफ अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों के एक बड़े प्रतिशत (66.7%) द्वारा इसमें केवल संशोधन की मांग करना इस नीति के पक्ष में उनके नरम व सकारात्मक रूख को दर्शाता है।

आरक्षित श्रेणी के 37.3% शिक्षक इस नीति को बिना किसी संशोधन के अपने वर्तमान रूप में जारी रखे जाने के पक्ष में हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के 28% शिक्षक इस नीति को पूरी तरह समाप्त किये जाने के पक्ष में हैं। उपरोक्त नतीजे पूर्व में किये गये शोधकार्यों (**राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् रिपोर्ट 1974, प्रजापति 1982, वेलास्कर 1986**) में श्रेणी के आधार पर प्राप्त उत्तरदाताओं की इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, जिसमें आरक्षित श्रेणी के अधिकतर उत्तरदाता इस नीति को बनाए रखना चाहते हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता इसे या तो समाप्त किये जाने के पक्ष में हैं अथवा इसमें आवश्यक सुधार चाहते हैं, की पुष्टि करते हैं।

8.1.ii आपके विचार से आरक्षण की सुविधा जारी रहनी चाहिए

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. अगले 10 वर्षों तक	69	37.1
2. अगले 20 वर्षों तक	9	4.8
3. अगले 30 वर्षों तक	12	6.4
4. अनिश्चित काल तक	32	17.2
5. अन्य विकल्प	35	18.8
6. विकल्प 4 व 5	6	3.2
उत्तर नहीं दिया	23	12.3
कुल	**186**	**100.0**
लागू नहीं	54	
कुल	**240**	**100.0**

(नोट : संख्या 8.1.i के लिए विकल्प 2 व 3 चुनने वाले 186 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि आरक्षण-नीति को किसी न किसी रूप में जारी रखने की इच्छा रखने वाले 186 शिक्षक उत्तरदाताओं में से 37.1% इसे अगले 10 वर्षों तक ही जारी रखना चाहते हैं। 18.8% शिक्षकों ने अन्य विकल्पों जैसे - जब तक आवश्यकता हो अर्थात् उद्देश्य पूर्ति होने तक, जब तक समाज से जातीय भेदभाव यानी छुआछूत व द्वेष भावना समाप्त न हो जाए, जब तक समाज में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक समानता न आ जाए, जब तक इसका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को नहीं मिल

जाता, आधार समय सीमा न होकर परिणाम हो व समय उनकी प्रगति को देखकर तय किया जाए, आदि के पक्ष में अपनी राय प्रकट की। अर्थात् ये शिक्षक आरक्षण की कोई समय सीमा तय नहीं करते वरन् इसे उद्देश्यपरक सीमा में बांधते हैं। इन्हीं की भांति 17.2% शिक्षक भी इस नीति को अनिश्चितकाल तक जारी रखना चाहते हैं परन्तु वे इसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करते। कुल मिलाकर 39.2% शिक्षक उत्तरदाता आरक्षण-नीति को किसी समय सीमा में नहीं बांधते। वे उद्देश्य पूरा होने तक (अर्थात् अनिश्चित काल तक) इस नीति को जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। 12.3% शिक्षकों ने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की।

संस्था के आधार पर - स्कूलों के 49.2% जबकि कालेजों के केवल 37% शिक्षक उत्तरदाता ही आरक्षण को 30 वर्षों से लेकर अनिश्चित काल अथवा उद्देश्यपूर्ति होने तक कायम रखना चाहते हैं (विकल्प – 3, 4, 5 व 6)। इसके विपरीत कालेजों के 48.0% उत्तरदाता इसे अधिकतम बीस वर्षों तक ही जारी रखना चाहते हैं। अर्थात् कालेजों की तुलना में स्कूलों के ज्यादा शिक्षक इस नीति को अभी लंबे समय तक जारी रखे जाने के पक्ष में हैं **(तालिका 8.1.ii क, परिशिष्ट II)**।

8.1.ii ख श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. अगले 10 वर्षों तक	2 (4.0)	67 (49.2)
2. अगले 20 वर्षों तक	3 (6.0)	6 (4.4)
3. अगले 30 वर्षों तक	6 (12.0)	6 (4.4)
4. अनिश्चित काल तक	15 (30.0)	17 (12.5)
5. अन्य विकल्प	20 (40.0)	15 (11.0)
6. विकल्प 4 व 5	3 (6.0)	3 (2.2)
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	22 (16.1)
कुल	**50**	**136**
लागू नहीं	1	53
कुल	**51**	**189**

आरक्षित श्रेणी के 76% शिक्षक आरक्षण-नीति को अनिश्चित काल तक जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती, लागू रखना चाहते हैं जबकि 12% इसे अगले 30 वर्षों तक जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। अर्थात् कुल 88% शिक्षक इसकी अवधि बीस वर्ष से अधिक रखना चाहते हैं। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 49.2% उत्तरदाता इसे केवल अगले दस वर्षों तक ही जारी रखना चाहते हैं। अनारक्षित श्रेणी के 16.1% शिक्षकों ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

चित्र संख्या 8.3

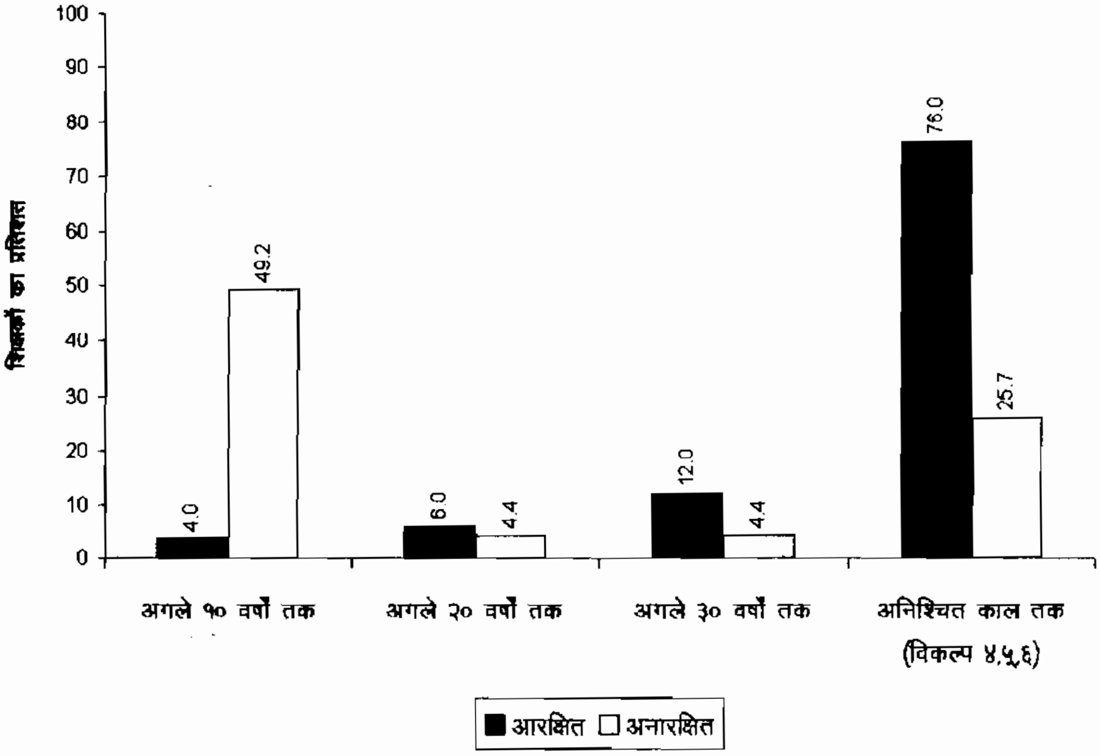

संविधान में राजनीतिक आरक्षण को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है परन्तु **पनान्डीकर** (1997) के अनुसार आरक्षण को कभी न कभी खत्म होना ही है। वे इसकी अधिकतम अवधि 20 वर्ष (सन् 2020 तक) मानते हैं। प्राप्त नतीजे श्रेणी के आधार पर इस नीति को बनाये रखने के संबंध में शिक्षकों की सकारात्मक अथवा नकारात्मक सोच को प्रकट करते हैं।

8.1.iii वर्तमान आरक्षण-नीति में सुधार (श्रेणी के आधार पर)

(नोट :- उक्त प्रश्न के संबंध में उत्तरदाताओं ने अनेक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।)

आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण को ईमानदारी से लागू किया जाये तथा ऐसा न करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाये। कुछ शिक्षक उत्तरदाताओं ने इस व्यवस्था में आर्थिक आधार भी जोड़ने की बात कही ताकि आरक्षित श्रेणी के भी केवल जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। उनमें कुछ ने छात्रवृत्ति की राशि व आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाये जाने की भी मांग की। कुछ ने अन्य नौकरियों (प्राइवेट), जिनमें अभी आरक्षण नहीं मिलता, में भी आरक्षण दिये जाने की मांग की जबकि 2 शिक्षक उत्तरदाताओं ने जाति-प्रमाण पत्र की वैद्यता की जाँच कराने की मांग की। कुछ ने शिक्षा के लिए उचित माहौल तैयार करने की बात कही (**तालिका 8.1.iii क-1, परिशिष्ट- II**)।

अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक उत्तरदाताओं ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने, आरक्षण का आधार आर्थिक किये जाने, योग्यता को दाखिले व रोजगार में नियुक्ति का आधार बनाये जाने व केवल एक या दो पीढ़ी को ही आरक्षण की सुविधा दिये जाने की बात कही। कुछ ने सीटों के बजाए अन्य सुविधाओं के रूप में आरक्षण दिये जाने की बात कही। शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाकर नौकरी व पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने व आरक्षण का प्रतिशत कम करने की बात भी कुछ शिक्षक उत्तरदाताओं ने कही। साथ ही आरक्षण का लाभ इस श्रेणी के केवल जरूरतमंद को ही मिले, ऐसा भी ज्यादातर उत्तरदाता चाहते हैं। कुछ सीमित समय के लिए ही आरक्षण चाहते हैं (**तालिका 8.1.iii क-2, परिशिष्ट II**)।

अतः प्राप्त नतीजे दर्शाते हैं कि जहां आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक आरक्षण को ईमानदारी व कड़ाई से लागू करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग करते हैं वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित श्रेणी के अधिकतर उत्तरदाता इसे समाप्त किये जाने (विशेषकर पदोन्नति में) अथवा इसमें आर्थिक आधार जोड़े जाने के पक्ष में हैं।

8.1.iv आरक्षण-नीति को पूरी तरह समाप्त करने अथवा उसमें सुधार करने की मांग के पीछे कारण

कारण \ विकल्प	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया	कुल
1. आ.नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रही है	42 (19.9)	94 (44.5)	51 (24.2)	9 (4.2)	15 (7.1)	**211**
2. दलितों व हरिजनों की सामाजिक-आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है	29 (13.7)	88 (41.7)	81 (38.4)	2 (0.9)	11 (5.2)	**211**
3. आ.नीति का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे दलितों व हरिजनों पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है।	31 (14.7)	68 (32.2)	89 (42.2)	12 (5.7)	11 (5.2)	**211**
4. आरक्षण–नीति ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, अतः भविष्य में इसकी जरूरत नहीं रही।	32 (15.1)	45 (21.3)	95 (45.0)	15 (7.1)	24 (11.4)	**211**
5. इसका लाभ अभी तक उस कमजोर तबके को नहीं मिला जिसे इसकी सर्वाधिक जरूरत थी	118 (55.9)	61 (28.9)	14 (6.6)	4 (1.9)	14 (6.6)	**211**
6. दलितों व पिछड़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वे खुली प्रतियोगिता में अगड़ों का मुकाबला कर सकते हैं।	27 (12.8)	56 (26.5)	98 (46.4)	13 (6.1)	17 (8.0)	**211**
7. अनु.जाति/जनजाति से संबंधित आयोगों व समितियों की भी यही राय है	13 (6.1)	44 (20.8)	49 (23.2)	83 (39.3)	22 (10.4)	**211**

(नोट – संख्या 8.1.i में विकल्प 1 व 3 चुनने वाले कुल 211 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

कुल - 211 लागू नहीं – 29 कुल - 240

तालिका 8.1.iv से ज्ञात होता है कि 84.8% उत्तरदाता इस कथन से पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं कि इस नीति का लाभ दलितों व पिछड़ों के उस कमजोर तबके तक नहीं पहुँचा है जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। 46.4% उत्तरदाता इस कथन कि दलितों व पिछड़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वे अब किसी भी खुली प्रतियोगिता में अगड़ों का मुकाबला कर सकते हैं और अब इन्हें आरक्षण की

आवश्यकता नहीं रही है, 45% इस कथन कि आरक्षण-नीति ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और भविष्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही तथा 42.2% इस कथन कि आरक्षण-नीति का समाज पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है जिससे दलितों व हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, से असहमत हैं। 39.3% उत्तरदाताओं ने अंतिम कथन कि अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित विभिन्न आयोगों व समितियों की भी यही राय है, के संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

8.1.iv क श्रेणी के आधार पर

कथन	विकल्प	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. आ.नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रही है	आरक्षित	4 (12.5)	11 (34.4)	14 (43.7)	2 (6.2)	1 (3.1)
	अनारक्षित	38 (21.2)	83 (46.3)	37 (20.6)	7 (3.9)	14 (7.8)
2. दलितों व हरिजनों की सामाजिक–आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है	आरक्षित	1 (3.1)	17 (53.1)	12 (37.5)	1 (3.1)	1 (3.1)
	अनारक्षित	28 (15.6)	71 (39.6)	69 (38.5)	1 (0.6)	10 (5.6)
3. आ.नीति का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे दलितों व हरिजनों पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है।	आरक्षित	5 (15.6)	13 (40.6)	12 (37.5)	1 (3.1)	1 (3.1)
	अनारक्षित	26 (14.5)	55 (30.7)	77 (43.0)	11 (6.1)	10 (5.6)
4. आरक्षण–नीति ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, अतः भविष्य में इसकी जरूरत नहीं रही।	आरक्षित	0	3 (9.3)	25 (78.1)	1 (3.1)	3 (9.3)
	अनारक्षित	32 (17.8)	42 (23.4)	70 (39.1)	14 (7.8)	21 (11.7)
5. इसका लाभ अभी तक उस कमजोर तबके को नहीं मिला जिसे इसकी सर्वाधिक जरूरत थी	आरक्षित	18 (56.2)	9 (28.1)	1 (3.1)	1 (3.1)	3 (9.3)
	अनारक्षित	100 (55.8)	52 (29.0)	13 (7.2)	3 (1.7)	11 (6.1)
6. दलितों व पिछड़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वे खुली प्रतियोगिता में अगड़ों का मुकाबला कर सकते हैं।	आरक्षित	0	6 (18.7)	22 (68.7)	1 (3.1)	3 (9.3)
	अनारक्षित	27 (15.1)	50 (27.9)	76 (42.4)	12 (6.7)	14 (7.8)
7. अनु.जाति/जनजाति से संबंधित आयोगों व समितियों की भी यही राय है	आरक्षित	2 (6.2)	4 (12.5)	15 (46.8)	7 (21.8)	4 (12.5)
	अनारक्षित	11 (6.1)	40 (22.3)	34 (18.9)	76 (42.4)	18 (10.1)

कुल उत्तरदाता – 211 आरक्षित – 32 अनारक्षित – 179

आरक्षित व अनारक्षित, दोनों श्रेणियों के लगभग 84% शिक्षक इस कथन से पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं कि आरक्षण-नीति का लाभ अभी तक उस तबके को नहीं मिला है जिसे इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। पूर्व में किये गये अनेक शोध अध्ययनों (**श्रीनिवास 1969, इशकिने 1979, चिटनिस 1981, देसाई 1985, नेपा 1986, वेलास्कर 1986, सिंह 1994, पनान्डीकर 1997, चटर्जी 2000**) में भी उत्तरदाताओं ने ऐसा ही माना था, अतः शिक्षकों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया श्रेणी से ऊपर उठकर इसी तथ्य की पुष्टि करती है।

दो कथनों के संबंध में श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद देखने को मिला। आरक्षित श्रेणी के 78.1% शिक्षक इस कथन कि आरक्षण-नीति ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, अतः भविष्य में इसकी जरूरत नहीं रही तथा 68.7% इस कथन कि दलितों व पिछड़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वे खुली प्रतियोगिता में अगड़ों का मुकाबला कर सकते हैं, से असहमत हैं। अर्थात् वे मानते हैं कि उन्हें अभी आरक्षण की आवश्यकता है। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के लगभग 43% उत्तरदाता यह मानते हैं कि इन्हें अब आरक्षण-नीति की आवश्यकता नहीं रही तथा अब ये समूह खुली प्रतियोगिता में अगड़ों का मुकाबला कर सकने में सक्षम हैं।

बेते (1992) के मतानुसार यह नीति पिछड़ा वर्ग को जातियों व समुदायों के बीच असमानता घटाने के लिए दी गई थी परन्तु इसने हर जाति व समुदाय के अंदर व्यक्तियों के बीच अंतर को बढ़ाया है। प्रस्तुत शोध में ऐसा मानने वाले कि आरक्षण-नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रही है, ज्यादा शिक्षक (कुल 67.5%) अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के 43.7% ऐसा नहीं मानते। **शाह (1997)** ने अपने लेख में दर्शाया है कि आरक्षण के बावजूद आरक्षित समुदायों की (सामाजिक-आर्थिक) दशा में कोई ख़ास व बड़ा फर्क नहीं हुआ है। परन्तु प्रस्तुत शोध में आरक्षित श्रेणी के 53% शिक्षक इससे कुछ हद तक ही सहमत हैं।

पालीवाल (1986), **सामंत** (1992), **सिंह** (1993), **जोशी** (1996) व **बेते** (2001) ने अपने अध्ययनों में पाया कि आरक्षण-नीति का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे दलितों व हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई

है परन्तु वर्तमान शोध में आरक्षित श्रेणी के 37.5% शिक्षक इससे सहमत नहीं है जबकि इनके 40.6% इससे कुछ हद तक ही सहमत हैं। इसी प्रकार अनारक्षित श्रेणी के भी 43% शिक्षक उक्त कथन से असहमत हैं। अर्थात् वे नहीं मानते कि इससे दलितों व हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है।

8.2 आरक्षण-नीति का मूल्यांकन

8.2.i आरक्षण-नीति के समाज पर नकारात्मक प्रभाव से तात्पर्य

विकल्प / नकारात्मक प्रभाव	पूरी तरह सहमत	'कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. इन समुदायों का आत्मसम्मान नष्ट कर रही है।	41 (17.1)	68 (28.3)	94 (39.2)	24 (10.0)	13 (5.4)
2. इनको अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रही है।	52 (21.7)	91 (37.9)	86 (35.8)	3 (1.3)	8 (3.3)
3. इससे जातिवाद बढ़ रहा है	107 (44.6)	72 (30.0)	45 (18.8)	4 (1.7)	12 (5.0)
4. आरक्षण–नीति पक्षपातपूर्ण व अनुचित उपाय है जो अयोग्यता को बढ़ावा दे रही है।	109 (45.4)	57 (23.8)	59 (24.6)	8 (3.3)	7 (2.9)
5. इससे दूसरे समुदाय के लोग भी अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं।	147 (61.3)	73 (30.4)	9 (3.8)	3 (1.3)	8 (3.3)
6. इन समुदायों के सदस्यों में कार्य में पहल करने की शक्ति नष्ट कर रही है	57 (23.8)	80 (33.3)	70 (29.2)	22 (9.2)	11 (4.6)
7. इसके कारण इस श्रेणी में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं।	103 (42.9)	88 (36.7)	23 (9.6)	13 (5.4)	13 (5.4)
8. इनके उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण हो रहा है।	94 (39.2)	77 (32.1)	37 (15.4)	24 (10.0)	8 (3.3)
9. इससे उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष बढ़ रहा है।	144 (60.0)	69 (28.8)	17 (7.1)	4 (1.7)	6 (2.5)
10. इससे भारतीय समाज में जातीय व आर्थिक आधार पर विघटन को बढ़ावा मिला है।	104 (43.3)	73 (30.4)	38 (15.8)	15 (6.3)	10 (4.2)

(नोट : पूर्ण कथनों के लिए प्रश्नावली भाग–4 देखें)

कुल उत्तरदाता – 240

कई समाजशास्त्रियों व शोध अध्ययनों के उत्तरदाताओं ने आरक्षण-नीति के समाज पर अलग–अलग प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया है। **चिटनिस (1984)** के अध्ययन में उत्तरदाताओं ने माना कि ये कार्यक्रम इन समुदायों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रहे हैं व इन समुदायों में पहल करने की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। **पाठक (1981)** के अध्ययन में उत्तरदाता इस बात से सहमत थे कि ये कार्यक्रम दलितों व पिछड़ों को अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रहे हैं। **श्रृद्धामोनी (1981)** ने अपने लेख में माना कि यह नीति समाज को बांट रही है तथा उसमें नफरत बढ़ा रही है। **सामंत (1992)** व **चटर्जी (2000)** के अध्ययनों में उत्तरदाता के अनुसार आरक्षण-नीति द्वारा जातिवाद समाप्त होने के बजाय बढ़ रहा है। **रूपा (1992) व पनान्डीकर (1997)** ने माना कि नये-नये समुदाय भी इन लाभों को लेने के लिए अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं। **प्रजापति (1982)**, **देसाई (1985)**, **रूपा (1992)**, **सिंह (1993)**, **पनान्डीकर (1997)**, **कृपाल व गुप्ता (1999)**, **चटर्जी (2000)** आदि के अनुसार इससे पिछड़ों व दलितों में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं तथा इनका उच्च वर्ग अपनी ही जाति के निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है। **रूपा (1992)** के अनुसार इससे उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष व गतिरोध पैदा हो रहा है।

प्रस्तुत शोध के नमूना शिक्षकों में 61.3% इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि इससे दूसरे समुदाय के लोग भी अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं जबकि 60% शिक्षक इससे पूरी तरह सहमत हैं कि इसके कारण उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष बढ़ रहा है। 40 से 45 प्रतिशत तक उत्तरदाता इससे पूरी तरह सहमत हैं कि इससे जातिवाद समाप्त होने की बजाय बढ़ रहा है, आरक्षण-नीति अनुचित व पक्षपातपूर्ण उपाय है जो अयोग्यता को बढ़ावा देती है, इसके कारण आरक्षित श्रेणी में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं, इनका उच्च वर्ग अपनी ही श्रेणी के निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है तथा इससे भारतीय समाज में जातीय व आर्थिक आधार पर विघटन को बढ़ावा मिला है। परन्तु 35 से 40 प्रतिशत तक उत्तरदाता इससे असहमत हैं कि ये कार्यक्रम इन समुदायों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रहे हैं व इन्हें अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रहे हैं।

8.2.i क श्रेणी के आधार पर

नकारात्मक प्रभाव	विकल्प	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. इन समुदायों का आत्मसम्मान नष्ट कर रही है।	आरक्षित	1 (2.0)	11 (21.6)	34 (66.7)	4 (7.8)	1 (2.0)
	अनारक्षित	40 (21.2)	57 (30.2)	60 (31.7)	20 (10.6)	12 (6.3)
2. इनको अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रही है।	आरक्षित	1 (2.0)	9 (17.6)	38 (74.5)	0	3 (5.9)
	अनारक्षित	51 (27.0)	82 (43.4)	48 (25.4)	3 (1.6)	5 (2.6)
3. इससे जातिवाद बढ़ रहा है	आरक्षित	8 (15.7)	20 (39.2)	20 (39.2)	0	3 (5.9)
	अनारक्षित	99 (52.4)	52 (27.5)	25 (13.2)	4 (2.1)	9 (4.8)
4. आरक्षण–नीति पक्षपातपूर्ण व अनुचित उपाय है जो अयोग्यता को बढ़ावा दे रही है।	आरक्षित	0	12 (23.5)	37 (72.5)	0	2 (3.9)
	अनारक्षित	109 (57.7)	45 (23.8)	22 (11.6)	8 (4.2)	5 (2.6)
5. इससे दूसरे समुदाय के लोग भी अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं।	आरक्षित	20 (39.6)	24 (47.1)	4 (7.8)	0	3 (5.9)
	अनारक्षित	127 (67.2)	49 (25.9)	5 (2.6)	3 (1.6)	5 (2.6)
6. इन समुदायों के सदस्यों में कार्य में पहल करने की शक्ति नष्ट कर रही है।	आरक्षित	2 (3.9)	9 (17.6)	36 (70.6)	0	4 (7.8)
	अनारक्षित	55 (29.1)	71 (37.6)	34 (18.0)	22 (11.6)	7 (3.7)
7. इसके कारण इस श्रेणी में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं।	आरक्षित	9 (17.6)	24 (47.1)	15 (29.4)	2 (3.9)	1 (2.0)
	अनारक्षित	94 (49.7)	64 (33.9)	8 (4.2)	11 (5.8)	12 (6.3)
8. इनके उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण हो रहा है।	आरक्षित	8 (15.7)	16 (31.4)	23 (45.1)	2 (3.9)	2 (3.9)
	अनारक्षित	86 (45.5)	61 (32.3)	14 (7.4)	22 (11.6)	6 (3.2)
9. इससे उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष बढ़ रहा है।	आरक्षित	12 (23.5)	26 (51.0)	9 (17.6)	2 (3.9)	2 (3.9)
	अनारक्षित	132 (69.8)	43 (22.8)	8 (4.2)	2 (1.1)	4 (2.1)
10. इससे भारतीय समाज में जातीय व आर्थिक आधार पर विघटन को बढ़ावा मिला है।	आरक्षित	5 (9.8)	15 (29.4)	25 (49.0)	4 (7.8)	2 (3.9)
	अनारक्षित	99 (52.4)	58 (30.7)	13 (6.3)	11 (5.8)	8 (4.2)

कुल उत्तरदाता – 240 आरक्षित श्रेणी – 51 अनारक्षित श्रेणी – 189

श्रेणी के आधार पर शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद देखने को मिला। जहां ऊपर वर्णित अधिकतर नकारात्मक प्रभावों के संबंध में अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक इनसे पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं वहीं दूसरी ओर आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक इनसे असहमत हैं।

अनारक्षित श्रेणी के 69.8% शिक्षक इससे पूरी तरह सहमत हैं कि इसके कारण उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष बढ़ रहा है जबकि इनके 67.2% इस बात से सहमत हैं कि इससे दूसरे समुदाय के लोग भी अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं। आरक्षित श्रेणी के क्रमशः 51% व 47.1% उत्तरदाता उक्त दोनों नकारात्मक प्रभावों से कुछ हद तक ही सहमत हैं।

अनारक्षित श्रेणी के लगभग 50 से 60 प्रतिशत उत्तरदाता इससे पूरी तरह सहमत हैं कि इसके कारण जातिवाद बढ़ रहा है, आरक्षण-नीति अनुचित व पक्षपातपूर्ण उपाय है जो अयोग्यता को बढ़ावा देती है, इससे आरक्षित श्रेणी में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं व इनका उच्च वर्ग अपनी ही श्रेणी के निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है तथा इससे भारतीय समाज में जातीय व आर्थिक आधार पर विघटन को बढ़ावा मिला है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के लगभग 40 से 50 प्रतिशत उत्तरदाता यह नहीं मानते कि इससे जातिवाद बढ़ रहा है अथवा इनका उच्च वर्ग अपने निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है तथा इससे भारतीय समाज में जातीय व आर्थिक आधार पर विघटन को बढ़ावा मिला है।

आरक्षित श्रेणी के लगभग 65 से 75 प्रतिशत उत्तरदाता इससे भी असहमत हैं कि ये कार्यक्रम इन समुदायों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रहे हैं तथा इन्हें अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रहे हैं अथवा आरक्षण-नीति अनुचित व पक्षपातपूर्ण उपाय है जो अयोग्यता को बढ़ावा देती है अथवा यह नीति इन समुदायों में पहल करने की शक्ति को नष्ट कर रही है। अतः प्राप्त डेटा दर्शाते हैं कि आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता उन नकारात्मक प्रभावों से असहमत हैं जिनके लिए आरक्षण-नीति अथवा आरक्षित समूहों को दोषी माना जाता है। दूसरी ओर अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर

उत्तरदाता ऐसे नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं जिनसे अनारक्षित श्रेणी के लोग प्रभावित हो रहे हैं।

8.2.ii आरक्षण-व्यवस्था के अभी तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में असफलता के कारण

कारण \ विकल्प	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. नीति दोषपूर्ण व अधूरी है	86 (35.8)	97 (40.4)	44 (18.3)	6 (2.5)	7 (2.9)
2. कोर्यान्वयन उचित नहीं हुआ है	90 (37.5)	89 (37.1)	38 (15.8)	7 (2.9)	16 (6.7)
3. नीति का राजनीतिकरण हो गया है	147 (61.3)	63 (26.3)	17 (7.1)	8 (3.3)	5 (2.1)
4. जनता व अधिकारी वर्ग की अपूर्ण जानकारी है	62 (25.8)	97 (40.4)	57 (23.8)	10 (4.2)	14 (5.8)
5. नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू न करना है	64 (26.7)	95 (39.6)	52 (21.7)	12 (5.0)	17 (7.1)
6. अधिकारियों की अक्षमता है	37 (15.4)	89 (37.1)	79 (32.9)	18 (7.5)	17 (7.1)
7. आवश्यक संसाधनों की कमी है	41 (17.1)	75 (31.3)	91 (37.9)	16 (6.7)	17 (7.1)
8. बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी है	111 (46.3)	75 (31.3)	32 (13.3)	9 (3.8)	13 (5.4)
9. शिक्षा व प्रचार की कमी है	103 (42.9)	80 (33.3)	40 (16.7)	4 (1.7)	13 (5.4)

(नोट – पूर्ण कथनों के लिए प्रश्नावली भाग–4 देखें)

कुल उत्तरदाता – 240

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 61.3% शिक्षक उत्तरदाता पूरी तरह तथा 26.3% कुछ हद तक (अर्थात् कुल 87.6% शिक्षक) इस कथन से सहमत हैं कि इस नीति का राजनीतिकरण हो गया है जिसके कारण आरक्षण–व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। लगभग 77.6% शिक्षक इसके लिए बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी को तथा 76.2% इसके लिए इनमें (आरक्षित श्रेणी में) शिक्षा व प्रचार की कमी को पूरी तरह अथवा कुछ हद तक जिम्मेदार मानते हैं। लगभग 75% शिक्षक मानते हैं कि यह नीति

तो ठीक है परन्तु इसका कार्यान्वयन उचित नहीं हुआ है जबकि लगभग इतने ही शिक्षक मानते हैं कि यह नीति अपने आप में ही संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण व अधूरी है।

8.2.ii क श्रेणी के आधार पर

कारण	विकल्प	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. नीति दोषपूर्ण व अधूरी है	आरक्षित	3 (5.9)	24 (47.1)	21 (41.2)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	83 (43.9)	73 (38.6)	23 (12.2)	5 (2.6)	5 (2.6)
2. कार्यान्वयन उचित नहीं हुआ है	आरक्षित	34 (66.7)	15 (29.4)	1 (2.0)	0	1 (2.0)
	अनारक्षित	56 (29.6)	74 (39.2)	37 (19.6)	7 (3.7)	15 (7.9)
3. नीति का राजनीतिकरण हो गया है	आरक्षित	27 (52.9)	16 (31.4)	5 (9.8)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	120 (63.5)	47 (24.9)	12 (6.3)	7 (3.7)	3 (1.6)
4. जनता व अधिकारी वर्ग की अपूर्ण जानकारी है	आरक्षित	19 (37.3)	23 (45.1)	7 (13.7)	0	2 (3.9)
	अनारक्षित	43 (22.8)	74 (39.2)	50 (26.5)	10 (5.3)	12 (6.3)
5. नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू न करना है	आरक्षित	33 (64.7)	14 (27.5)	0	2 (3.9)	2 (3.9)
	अनारक्षित	31 (16.4)	81 (42.9)	52 (27.5)	10 (5.3)	15 (7.9)
6. अधिकारियों की अक्षमता है	आरक्षित	15 (29.4)	23 (45.1)	9 (17.6)	1 (2.0)	3 (5.9)
	अनारक्षित	22 (11.6)	66 (34.9)	70 (37.0)	17 (9.0)	14 (7.4)
7. आवश्यक संसाधनों की कमी है	आरक्षित	13 (25.5)	16 (31.4)	19 (37.3)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	28 (14.8)	59 (31.2)	72 (38.1)	15 (7.9)	15 (7.9)
8. बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी है	आरक्षित	24 (47.1)	13 (25.5)	11 (21.6)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	87 (46.0)	62 (32.8)	21 (11.1)	8 (4.2)	11 (5.8)
9. शिक्षा व प्रचार की कमी है	आरक्षित	26 (51.0)	18 (35.3)	4 (7.8)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	77 (40.7)	62 (32.8)	36 (19.0)	3 (1.6)	11 (5.8)

कुल उत्तरदाता – 240   आरक्षित – 51   अनारक्षित – 189

एक बार फिर शिक्षकों की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद देखने को मिला। जहां आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने उन कारणों को इसके लिए जिम्मेदार माना है जिनमें इसके उचित क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराया जा सकता था वहीं दूसरी ओर अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षकों ने अन्य कारणों को इसके लिए जिम्मेदार माना।

सिंह (1979), **पालीवाल** (1986), **सामंत** (1992) **व सिंह** (1994) ने अपने अध्ययनों में पाया था कि नीति तो ठीक है परन्तु इसका क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हुआ है। **यादव** (1981), **सामंत** (1992), **सिंह** (1993) **व आर्य** (1997) ने संबंधित अधिकारी वर्ग द्वारा इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की अनिच्छा व प्रशासनिक स्तर पर इस नीति को लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इसे ही इस नीति की असफलता के लिए जिम्मेदार माना था। परन्तु प्रस्तुत शोध में केवल आरक्षित श्रेणी के ही ज्यादातर शिक्षक ऐसा मानते हैं। उनके 66.7% शिक्षक मानते हैं कि यह नीति तो ठीक है परन्तु इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है जबकि 64.7% मानते हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू न करना इस नीति के उद्देश्य प्राप्ति में असफलता के प्रमुख कारण हैं।

दोनों श्रेणियों के क्रमशः 84.3% व 88.4% शिक्षक इससे पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं कि इस नीति का राजनीतिकरण हो गया है जिसके कारण यह अपने उद्देश्य प्राप्ति में असफल रही है जो इस नीति को लेकर राजनीतिज्ञों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगाती है। दोनों श्रेणियों के लगभग 75% शिक्षक इसके लिए बढ़ती जनसंख्या व बेरोज़गारी को तथा इनमें (आरक्षित श्रेणी में) शिक्षा व प्रचार की कमी को भी इसके लिए पूरी तरह अथवा कुछ हद तक जिम्मेदार मानते हैं।

अनारक्षित श्रेणी के कुल 82.5% शिक्षक इससे पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं कि यह नीति अपने आप में ही (संरचनात्मक रूप से) दोषपूर्ण व अधूरी है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के 41.2% शिक्षक उत्तरदाता इससे असहमत हैं। अतः शिक्षकों की प्रतिक्रिया एक बार फिर उनकी जातीय श्रेणी से प्रभावित है।

8.2.iii वर्तमान आरक्षण–नीति अपने आप में ही दोषपूर्ण व अधूरी है क्योंकि

कमियाँ वरीयताक्रम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1. इसमें निर्गम की व्यवस्था नहीं है।	58 (30.5)	31 (16.3)	49 (25.8)	14 (7.4)	0
2. जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।	85 (44.7)	59 (31.0)	23 (12.1)	3 (1.6)	2 (1.0)
3. उच्च जाति के निम्न वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल रहा।	28 (14.7)	63 (33.1)	53 (27.9)	13 (6.8)	0
4. इसमें नये समूहों को जोड़ने की व्यवस्था नहीं है।	4 (2.1)	5 (2.6)	24 (12.6)	116 (61.0)	0
5. अन्य विकल्प	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	0	3 (1.6)
उत्तर नहीं दिया	12 (6.3)	31 (16.3)	40 (21.0)	44 (23.1)	185 (97.4)
कुल	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
लागू नहीं	50	50	50	50	50
कुल	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**

(नोट – संख्या 8.2.ii में ऐसा मानने वाले कुल 190 (86+97+7) उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

तालिका 8.1.iv में 55.9% उत्तरदाता इससे पूरी तरह सहमत थे कि इस सुविधा का लाभ अभी तक उस तबके तक नहीं पहुँचा है जिसे इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। यहां भी 44.7% उत्तरदाताओं ने माना कि वर्तमान आरक्षण–नीति की प्रमुख कमी यह है कि वास्तविक हकदारों (निचले व कमजोर तबके के लोगों) को इसका लाभ नहीं मिल रहा है जबकि 30.5% ने इसमें आरक्षण समाप्त किये जाने (निर्गम) की व्यवस्था नहीं होने को वर्तमान आरक्षण–नीति की प्रथम व प्रमुख कमी माना।

33.1% उत्तरदाता आरक्षण का आधार जाति होने को, जिसके कारण उच्च जाति के निम्न वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल रहा, इसकी दूसरी प्रमुख कमी मानते हैं। इसमें नये समूहों को जोड़ने की व्यवस्था के अभाव को ज्यादातर शिक्षक वर्तमान आरक्षण-नीति की प्रमुख कमी नहीं मानते।

8.2.iii क श्रेणी के आधार पर

कमियाँ	वरीयताक्रम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1. इसमें निर्गम की व्यवस्था नहीं है।	आरक्षित	6 (20.7)	4 (13.8)	6 (20.7)	2 (6.9)	0
	अनारक्षित	52 (32.8)	27 (16.7)	43 (26.7)	12 (7.4)	0
2. जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।	आरक्षित	13 (44.8)	8 (27.6)	1 (3.4)	0	0
	अनारक्षित	72 (44.7)	51 (31.7)	22 (13.6)	3 (1.8)	2 (1.2)
3. उच्च जाति के निम्न वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल रहा।	आरक्षित	3 (10.3)	6 (20.7)	7 (24.1)	1 (3.4)	0
	अनारक्षित	25 (15.2)	57 (35.4)	46 (28.6)	12 (7.4)	0
4. इसमें नये समूहों को जोड़ने की व्यवस्था नहीं है।	आरक्षित	0	0	5 (17.2)	14 (48.3)	0
	अनारक्षित	4 (2.5)	5 (3.1)	19 (11.8)	102 (63.3)	0
5. अन्य विकल्प	आरक्षित	1 (3.4)	1 (3.4)	0	0	0
	अनारक्षित	2 (1.2)	0	1 (0.6)	0	3 (1.8)
उत्तर नहीं दिया	आरक्षित	6 (20.7)	10 (34.5)	10 (34.5)	12 (41.4)	29 (67.0)
	अनारक्षित	6 (3.7)	21 (13.0)	30 (18.6)	32 (19.8)	156 (96.9)

कुल उत्तरदाता – 240 आरक्षित – 51 अनारक्षित – 189

प्राप्त डेटा दर्शाते हैं कि आरक्षित व अनारक्षित, दोनों श्रेणियों के लगभग 44% उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण–नीति में प्रमुख कमी यही है कि अभी तक वास्तविक हकदारों को इसका लाभ नहीं मिला है। आरक्षण– नीति में निर्गम की व्यवस्था न होने (अर्थात् आरक्षण समाप्त करने की व्यवस्था न होने) तथा इसका आधार जाति होने के कारण उच्च जाति के निम्न वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलने को भी यद्यपि दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने आरक्षण–नीति की अन्य कमियाँ माना है परन्तु ऐसा मानने वाले ज्यादा शिक्षक अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसमें नये समूहों को जोड़ने की व्यवस्था न होने को बहुत कम शिक्षकों ने आरक्षण–नीति की प्रमुख कमी माना है जबकि कुछ ने कहा कि यह नीति बुद्धिजीवी छात्रों के लिए घातक व निरूत्साहवर्धक सिद्ध हो रही है तथा समाज में जड़ता लाती है। इस प्रकार प्राप्त नतीजे एक बार फिर पूर्व में किये गये शोध

कार्यों (**चिटनिस 1984, वेलास्कर 1986, सिंह 1993, नेसहिया 1997, पनान्डीकर 1997**) में प्राप्त उत्तरदाताओं की सोच से मेल खाते हैं।

8.3 आरक्षण सुविधा का प्रभाव

8.3.i राजनीति में आरक्षण सुविधा से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की परिस्थिति में फ़र्क पड़ा है

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	49	20.4
2. हाँ	150	62.5
3. पता नहीं	20	8.3
उत्तर नहीं दिया	21	8.8
कुल	**240**	**100**

कुल नमूना शिक्षकों में से 62.5% मानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण सुविधा से इस श्रेणी के **लोगों** की परिस्थिति (सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक) में फ़र्क पड़ा है जबकि 20.4% शिक्षक ऐसा नहीं मानते।

8.3.i क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित	
1. नहीं	6 (11.8)	43 (22.8)	
2. हाँ	41 (80.4)	109 (57.6)	
3. पता नहीं	4 (7.8)	16 (8.5)	
उत्तर नहीं दिया	0	21 (11.1)	**$X^2 = 4.661$ df = 1 L. S_m = 0.05**
कुल	**51**	**189**	

आरक्षित श्रेणी के 80.4% उत्तरदाता मानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण से उनकी स्थिति में फ़र्क पड़ा है जबकि अनारक्षित श्रेणी में ऐसा मानने वाले केवल 57.6% उत्तरदाता ही हैं। श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की सोच में पाया गया अंतर 0.05 संभाव्यता स्तर पर महत्वपूर्ण है। आरक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा मानने के पीछे एक कारण यह है कि राजनीतिक आरक्षण के द्वारा उन्हें सत्ता में भागीदारी करने

का मौका मिला है जिससे राजनीतिक स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों व उनके लिए बनाई जाने वाली नीतियों को वे स्वयं उसका एक हिस्सा होने के कारण प्रभावित कर पाने में सक्षम हो पाये हैं (**देखें दलित आत्मकथाएं**), अतः उन्हें लगता है कि राजनीतिक आरक्षण से उनकी स्थिति में फ़र्क पड़ा है।

8.3.ii अनु.जाति/जनजाति के लोगों द्वारा आरक्षण–सुविधा का पूरा लाभ नहीं ले पाने के कारण

विकल्प / कारण	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	कुल
1. मार्गदर्शन की कमी	194 (80.8)	16 (6.7)	30 (12.5)	**240**
2. बुद्धि की कमी	37 (15.4)	130 (54.2)	73 (30.4)	**240**
3. बचपन में उचित सुविधाओं की कमी	169 (70.4)	21 (8.8)	50 (20.8)	**240**
4. सही दृष्टिकोण की कमी	163 (67.9)	29 (12.1)	48 (20.0)	**240**
5. अच्छी आदतों का अभाव	76 (31.7)	88 (36.7)	76 (31.7)	**240**
6. आलस्य	75 (31.3)	95 (39.6)	70 (29.2)	**240**
7. अन्य विकल्प	32 (13.3)	0	208 (86.7)	**240**

कुल नमूना शिक्षकों में से 80.8% ने मार्गदर्शन की कमी को इसका मुख्य कारण माना है जबकि 70.4% ने बचपन में उचित सुविधाओं की कमी को तथा 67.9% ने इनमें सही दृष्टिकोण की कमी को इसका कारण माना है। बुद्धि की कमी को 54.2% उत्तरदाता इसका कारण नहीं मानते हैं। कुल 13.3% उत्तरदाताओं ने अन्य कारणों को इन लोगों द्वारा आरक्षण का लाभ न लिये जाने के लिए जिम्मेदार माना जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं जैसे–

- इनमें अधिक लोगों का अशिक्षित होना।
- सरकार का नकारात्मक रूख व उच्च अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया।
- अंधविश्वास व रूढ़िवाद।
- आरक्षण–नीति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में अपूर्ण जानकारी।
- शिक्षा के प्रति निरूत्साह।
- राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि।

राम (1996) तथा आर्य (1997) ने इसके लिए इनमें शिक्षा की कमी को जिम्मेदार माना था। चूंकि शिक्षा की कमी का एक कारण इनमें मार्गदर्शन व बचपन में उचित सुविधाओं की कमी है, अतः प्राप्त नतीजे इन्हीं की पुष्टि करते हैं।

8.3.ii क श्रेणी के आधार पर

कारण	विकल्प	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	कुल
1. मार्गदर्शन की कमी	आरक्षित	46 (90.2)	0	5 (9.8)	**51**
	अनारक्षित	148 (78.3)	16 (8.5)	25 (13.2)	**189**
2. बुद्धि की कमी	आरक्षित	2 (3.9)	39 (76.5)	10 (19.6)	**51**
	अनारक्षित	35 (18.5)	91 (48.1)	63 (33.3)	**189**
3. बचपन में उचित सुविधाओं की कमी	आरक्षित	43 (84.3)	3 (5.9)	5 (9.8)	**51**
	अनारक्षित	126 (66.7)	18 (9.5)	45 (23.8)	**189**
4. सही दृष्टिकोण की कमी	आरक्षित	33 (64.7)	10 (19.6)	8 (15.7)	**51**
	अनारक्षित	130 (68.8)	19 (10.1)	40 (21.2)	**189**
5. अच्छी आदतों का अभाव	आरक्षित	10 (19.6)	29 (56.9)	12 (23.5)	**51**
	अनारक्षित	66 (34.9)	59 (31.2)	64 (33.9)	**189**
6. आलस्य	आरक्षित	7 (13.7)	33 (64.7)	11 (21.6)	**51**
	अनारक्षित	68 (36.0)	62 (32.8)	59 (31.3)	**189**
7. अन्य विकल्प	आरक्षित	12 (23.5)	0	39 (76.5)	**51**
	अनारक्षित	20 (10.6)	0	169 (89.4)	**189**

दोनों श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाता एकमत से मानते हैं कि मार्गदर्शन, बचपन में उचित सुविधाओं व सही दृष्टिकोण की कमी के कारण अनु.जाति व जनजाति के लोग

आरक्षण–सुविधा का पूरा लाभ नहीं ले पाते। परन्तु आरक्षित श्रेणी के 76.5% शिक्षक इनमें बुद्धि की कमी को, 64.7% आलस्य को व 56.9% इनमें अच्छी आदतों के अभाव को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इस प्रकार तालिका के रूप में प्राप्त डेटा एक बार फिर श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की सोच में अंतर को दर्शाती है।

8.3.iii आरक्षण सुविधा के बावजूद दलितों व पिछड़ों की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्थिति में कोई अथवा वास्तविक सुधार नहीं होने के कारण

कारण वरीयताक्रम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1. उच्च जातियों की महत्वकांक्षा	29 (12.1)	5 (2.1)	15 (6.3)
2. बुद्धि की कमी	14 (5.8)	6 (2.5)	10 (4.2)
3. सुविधा के प्रति अज्ञानता	71 (29.6)	43 (17.9)	29 (12.1)
4. पारंपरिक मान्यताएं	55 (22.9)	75 (31.3)	32 (13.3)
5. लागू करने की अनिच्छा	18 (7.5)	31 (12.9)	53 (22.1)
6. सही नेतृत्व का अभाव	29 (12.1)	31 (12.9)	44 (18.3)
7. तरक्की करने की इच्छा का दबा रहना	6 (2.5)	14 (5.8)	12 (5.0)
8. अन्य विकल्प	2 (0.8)	0	1 (0.4)
उत्तर नहीं दिया	16 (6.7)	35 (14.6)	44 (18.3)
कुल	**240**	**240**	**240**

उपरोक्त डेटा दर्शाता है कि 29.6% उत्तरदाता आरक्षण–नीति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बावजूद इनकी दशा में कोई अथवा वास्तविक सुधार नहीं होने के लिए दलितों व पिछड़ों में इस सुविधा के प्रति अज्ञानता व अनभिज्ञता को प्रमुख कारण मानते हैं जबकि 22.9% ने इनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे शैक्षिक पिछड़ापन, गरीबी, धार्मिक रीतिरिवाज़ व पुरानी परंपराएं, जो इन्हें इन सुविधाओं का लाभ लेने से रोकती हैं, को प्रमुख कारण माना है।

8.3.iii क श्रेणी के आधार पर

वरीयताक्रम / कारण	प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित
1. उच्च जातियों की महत्वकांक्षा	12 (23.5)	17 (9.0)	2 (3.9)	3 (1.6)	5 (9.8)	10 (5.3)
2. बुद्धि की कमी	0	14 (7.4)	0	6 (3.2)	2 (3.9)	8 (4.2)
3. सुविधा के प्रति अज्ञानता	12 (23.5)	59 (31.2)	7 (13.7)	36 (19.0)	5 (9.8)	24 (12.7)
4. पारंपरिक मान्यताएं	9 (17.6)	46 (24.3)	22 (43.1)	53 (28.0)	5 (9.8)	27 (14.3)
5. लागू करने की अनिच्छा	12 (23.5)	6 (3.2)	8 (15.7)	23 (12.2)	17 (33.3)	36 (19.0)
6. सही नेतृत्व का अभाव	2 (3.9)	27 (14.3)	6 (11.8)	25 (13.2)	9 (17.6)	35 (18.5)
7. तरक्की करने की इच्छा का दबा रहना	0	6 (3.2)	0	14 (7.4)	1 (2.0)	11 (5.8)
8. अन्य विकल्प	0	2 (1.1)	0	0	0	1 (0.5)
उत्तर नहीं दिया	4 (7.8)	12 (6.3)	6 (11.8)	29 (15.3)	7 (13.7)	37 (19.6)
कुल	**51**	**189**	**51**	**189**	**51**	**189**

आरक्षित श्रेणी के अंदर ही उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया काफी बंटी हुई है। उच्च जातियों की महत्वकांक्षा, इनमें (दलितों व पिछड़ों में) आरक्षण के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा के प्रति अज्ञानता व अनभिज्ञता तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा इस नीति को लागू करने की अनिच्छा को क्रमशः 23.5% उत्तरदाताओं ने इसका प्रमुख कारण माना। इनमें बुद्धि की कमी व तरक्की की इच्छा के दबे रहने को एक भी शिक्षक ने इसका कारण नहीं माना है जबकि 43.1% ने द्वितीय वरीयताक्रम में पारंपरिक मान्यताओं, आदि को इनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार माना।

अनारक्षित श्रेणी के 31.2% उत्तरदाताओं ने इनमें आरक्षण के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा के प्रति अज्ञानता व अनेभिज्ञता को तथा 24.3% ने इनमें प्रचलित पारंपरिक मान्यताओं को प्रमुख कारण माना है। इनके 14.3% शिक्षकों ने इनमें सही नेतृत्व के अभाव को भी इनके लिए जिम्मेदार माना। इस प्रकार प्राप्त डेटा एक बार फिर यह

दर्शाता है कि जहां आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाता उन कारणों को अपनी पिछड़ी हुई दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं जिनमें उच्च जाति के लोग शामिल थे वहीं अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता इसके लिए इन्हीं में कमियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं।

8.3.iv मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा का समाज पर प्रभाव

विकल्प / कथन	पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. विभिन्न जातियों के बीच संबंध अच्छे व मधुर हुए हैं	9 (3.8)	46 (19.2)	150 (62.5)	20 (8.3)	15 (6.3)
2. विभिन्न धर्मों के बीच तनाव घटे हैं	5 (2.1)	45 (18.8)	143 (59.6)	33 (13.8)	14 (5.8)
3. दलितों व गैर दलितों के बीच तनाव बढ़े हैं	75 (31.3)	83 (34.6)	49 (20.4)	21 (8.8)	12 (5.0)
4. सभी श्रेणियों के गरीबों व अमीरों के बीच पहले से ज्यादा तनाव हुए हैं	82 (34.2)	84 (35.0)	48 (20.0)	17 (7.1)	9 (3.8)
5. अन्य पिछड़ावर्ग व सवर्णों के बीच तनाव बढ़े हैं	97 (40.4)	92 (38.3)	23 (9.6)	17 (7.1)	11 (4.6)

कुल उत्तरदाता – 240

तालिका में प्राप्त डेटा से पता चलता है कि लगभग 60% नमूना शिक्षक मानते हैं कि मंडल–आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के पश्चात न तो विभिन्न जातियों के बीच संबंध अच्छे व मधुर हुए हैं और न ही विभिन्न धर्मों के बीच तनाव घटे हैं (अर्थात् वे मानते हैं कि या तो ये संबंध व तनाव पहले जैसे ही हैं अथवा इनमें अधिक कड़वाहट आ गई है)। दलितों व गैर दलितों, सभी श्रेणियों के अमीरों व गरीबों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग व सवर्णों के बीच तनाव को लेकर भी ज्यादातर उत्तरदाता इस बात से या तो पूरी तरह अथवा कुछ हद तक सहमत हैं कि इनके बीच तनाव बढ़े हैं। अर्थात् डेटा दर्शाता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट ने पूरे भारतीय समाज में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव व कड़वाहट को बढ़ाया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पहले से ही चली आ रही आरक्षण व्यवस्था का विस्तार थी। अभी तक केन्द्रीय स्तर पर इसका लाभ केवल अनु.जाति व जनजाति को ही मिल रहा था परन्तु मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद इस

सुविधा को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बढ़ा दिया गया जिसका विभिन्न समाजशास्त्रियों व विद्वानों ने इस आधार पर विरोध किया कि इससे समाज में जातिवाद व जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा (**दुबे 1990, मिश्रा 1991, रूपा 1992, गुप्ता 2000**)। **सिंह (1994)** ने इसे एक राजनीतिक भूल माना। प्रस्तुत शोध के शिक्षकों की प्रतिक्रिया भी इसी सोच की पुष्टि करती है।

8.3.iv क श्रेणी के आधार पर

कथन / विकल्प		पूरी तरह सहमत	कुछ हद तक सहमत	असहमत	पता नहीं	उत्तर नहीं दिया
1. विभिन्न जातियों के बीच संबंध अच्छे व मधुर हुए हैं	आरक्षित	3 (5.9)	20 (39.2)	21 (41.2)	3 (5.9)	4 (7.8)
	अनारक्षित	6 (3.2)	26 (13.8)	129 (68.3)	17 (9.0)	11 (5.8)
2. विभिन्न धर्मों के बीच तनाव घटे हैं	आरक्षित	2 (3.9)	19 (37.3)	17 (33.3)	10 (19.6)	3 (5.9)
	अनारक्षित	3 (1.6)	26 (13.8)	126 (66.7)	23 (12.2)	11 (5.8)
3. दलितों व गैर दलितों के बीच तनाव बढ़े हैं	आरक्षित	12 (23.5)	16 (31.4)	19 (37.3)	2 (3.9)	2 (3.9)
	अनारक्षित	63 (33.3)	67 (35.4)	30 (15.9)	19 (10.1)	10 (5.3)
4. सभी श्रेणियों के गरीबों व अमीरों के बीच पहले से ज्यादा तनाव हुए हैं	आरक्षित	15 (29.4)	16 (31.4)	13 (25.5)	4 (7.8)	3 (5.9)
	अनारक्षित	67 (35.4)	68 (36.0)	35 (18.5)	13 (6.9)	6 (3.2)
5. अन्य पिछड़ावर्ग व सवर्णों के बीच तनाव बढ़े हैं	आरक्षित	13 (25.5)	24 (47.1)	9 (17.6)	2 (3.9)	3 (5.9)
	अनारक्षित	84 (44.4)	68 (36.0)	14 (7.4)	15 (7.9)	8 (4.2)

कुल उत्तरदाता – 240 आरक्षित – 51 अनारक्षित –189

शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में थोड़ा अंतर देखने को मिला। जहां अनारक्षित श्रेणी के क्रमशः 68.3% व 66.7% उत्तरदाता इससे असहमत हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के पश्चात विभिन्न जातियों के बीच संबंध अच्छे व मधुर हुए हैं अथवा विभिन्न धर्मों के बीच तनाव घटे हैं वहीं दूसरी ओर आरक्षित श्रेणी के केवल 41.2% तथा 33.3% उत्तरदाता ही इनसे असहमत हैं। आरक्षित श्रेणी के 37.3% उत्तरदाता इस बात से भी असहमत हैं कि मंडल आयोग के पश्चात दलितों व

गैर दलितों (विशेषकर हरिजनों व गैर हरिजनों) के बीच तनाव बढ़े हैं। अपनी–अपनी श्रेणी के अमीरों व गरीबों के बीच तनाव बढ़ने को लेकर दोनों श्रेणियों में काफी हद तक मतैक्य देखने को मिला परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग व सवर्णों के बीच तनाव बढ़ने को लेकर अनारक्षित श्रेणी के 44.4% इससे पूरी तरह व आरक्षित श्रेणी के 47.1% शिक्षक कुछ हद तक सहमत हैं।

इस प्रकार प्राप्त डेटा दर्शाता है कि जहां अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक मानते हैं कि मंडल आयोग की घोषणा का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वहीं आरक्षित श्रेणी के शिक्षक कुछ हद तक ही ऐसा मानते हैं परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग व सवर्णों के बीच तनाव बढ़ने को वे भी स्वीकारते हैं जो सरकार द्वारा इस आयोग की रिपोर्ट को लागू किये जाने के निर्णय पर प्रश्न चिह्न लगाती है जिसने समाज में जातीय आधार पर दूरियों को बढ़ाने में सहयोग दिया है।

8.3.v हरिजन व आदिवासी अभिजनवर्ग अपने ही समुदायों के लोगों से दूरी बनाये रखना शुरू कर देते हैं

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. असहमत	16	6.7
2. आंशिक रूप से सहमत	66	27.5
3. सहमत	132	55.0
4. पता नहीं	22	9.2
उत्तर नहीं दिया	4	1.7
कुल	**240**	**100.0**

55% उत्तरदाता इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हरिजन व आदिवासी अभिजन वर्ग एक ख़ास सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात अपने ही समुदाय के लोगों से दूरी बनाये रखना शुरू कर देते हैं जबकि 27.5% उत्तरदाता इससे आंशिक रूप से ही सहमत हैं।

8.3.v क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. असहमत	7 (13.7)	9 (4.8)
2. आंशिक रूप से सहमत	22 (43.1)	44 (23.3)
3. सहमत	20 (39.2)	112 (59.3)
4. पता नहीं	2 (3.9)	20 (10.6)
उत्तर नहीं दिया	0	4 (2.1)
कुल	**51**	**189**

दोनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतभेद दिखाई दिया। अनारक्षित श्रेणी के 59.3% उत्तरदाताओं की तुलना में आरक्षित श्रेणी के केवल 39.2% शिक्षक ही इससे सहमत हैं कि हरिजन व आदिवासी अभिजनवर्ग अपने समुदाय के सदस्यों से दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। परन्तु आरक्षित श्रेणी के 43.1% उत्तरदाताओं द्वारा इससे आंशिक रूप से सहमत होना यह दर्शाता है कि वे अपनी श्रेणी की इस कड़वी सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। **मलिक 1971, पाठक 1981, प्रजापति 1982, सिंह 1993, जोशी 1996, आर्य 1997**, आदि ने भी अपने अध्ययन में यह दर्शाया था कि इनका शहरी, शिक्षित व उच्च वर्ग एक ख़ास प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात अपनी ही श्रेणी के ग्रामीणों, अशिक्षितों व गरीबों का शोषण करना व उनसे दूरी बनाये रखना शुरू कर देता है। प्राप्त नतीजे भी यही दर्शाते हैं यद्यपि आरक्षित श्रेणी के कुछ उत्तरदाता इस सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते।

8.4 भारतीय समाज और जाति

8.4.i भारत में अन्य धर्मों में भी जातियाँ पाई जाती हैं

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. असहमत	33	13.8
2. सहमत	167	69.6
3. पता नहीं	33	13.8
उत्तर नहीं दिया	7	2.9
कुल	**240**	**100.0**

आजकल भारत में अन्य धर्मों में भी जातियाँ पाई जाने लगी हैं, इस कथन से कुल 69.6% उत्तरदाता सहमत हैं जबकि 13.8% इससे असहमत थे (अर्थात् वे मानते हैं कि जातियाँ आज भी हिन्दू धर्म की विशेषता है व अन्य धर्मों में जातियाँ नहीं पाई जातीं)। 13.8% उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई।

8.4.i क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. असहमत	6 (11.8)	27 (14.3)
2. सहमत	36 (70.6)	131 (69.3)
3. पता नहीं	7 (13.7)	26 (13.8)
उत्तर नहीं दिया	2 (3.9)	5 (2.6)
कुल	**51**	**189**

शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतैक्य दिखाई दिया। दोनों श्रेणियों के लगभग 70% उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि भारत में अब अन्य धर्मों में भी जातियाँ पाई जाती हैं। **श्रीनिवास (1969), खाँ (1993), राव (1996)** आदि ने भी अपने अध्ययनों में दर्शाया है कि भारत में अन्य धर्मों में भी जातियाँ पाई जाती हैं। अतः प्राप्त नतीजे दर्शाते हैं कि समाज का शिक्षित वर्ग भी श्रेणी से ऊपर उठकर इस तथ्य को स्वीकारता है कि भारत में अन्य धर्मों में भी जातियाँ पाई जाती हैं।

8.4.ii अब जाति के नियम व बंधन कमजोर हो गए हैं

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. असहमत	29	12.1
2. आंशिक रूप से सहमत	128	53.3
3. सहमत	79	32.9
उत्तर नहीं दिया	4	1.7
कुल	**240**	**100.0**

इस कथन कि जो व्यवसाय पहले निम्न समझे जाते थे वे अब समाज द्वारा स्वीकृत हो गये हैं तथा यद्यपि भारत में जाति का निर्धारण पहले व्यवसाय के आधार पर होता था परन्तु अब व्यवसाय बदलने से जाति के नियम व बंधन भी कमजोर हो गए हैं, से 53.3% उत्तरदाता आंशिक रूप से ही सहमत हैं। केवल 32.9% शिक्षक उत्तरदाता ही इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं जबकि 12.1% इस बात को पूरी तरह नकारते हैं कि अब जाति के नियम व बंधन कमजोर हो गए हैं।

8.4.ii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. असहमत	11 (21.6)	18 (9.5)
2. आंशिक रूप से सहमत	27 (52.9)	101 (53.4)
3. सहमत	12 (23.5)	67 (35.4)
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	3 (1.6)
कुल	**51**	**189**

अनारक्षित श्रेणी के 35.4% शिक्षक उत्तरदाता इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अब जाति के नियम व बंधन कमजोर हो गए हैं जबकि आरक्षित श्रेणी के 21.6% शिक्षक इससे असहमत हैं (अर्थात् वे मानते हैं कि आज भी कुछ व्यवसाय कलंकित माने जाते हैं तथा जाति के नियम व बंधन आज भी कठोर हैं)। ज्यादातर उत्तरदाताओं द्वारा इस कथन से आंशिक रूप से ही सहमत होना यह दर्शाता है कि भारतीय समाज में जातिवाद (छुआछूत) आज भी कहीं–न–कहीं, किसी–न–किसी रूप में विद्यमान है तथा जो उनके **अध्याय-7** में व्यक्त प्रतिक्रिया से मेल खाता है **(तालिका 7.8.i ख)**। **श्रीनिवास (1969)**, **देवी (1986)**, **सांमत (1992)**, **जोशी (1996)** आदि ने अपने अध्ययनों में इस तथ्य को दर्शाया है कि यद्यपि जाति के नियम व बंधन पहले से कमजोर हुए हैं परन्तु ऐसा ज्यादातर शहरों में हुआ है गांवों में नहीं।

8.4.iii भारतीय समाज में जाति के नियमों व बंधनों के कमजोर होने के लिए जिम्मेदार कारक

वरीयताक्रम कारक	प्रथम	द्वितीय
1. शहरीकरण	63 (26.3)	44 (18.3)
2. शिक्षा का प्रसार	109 (45.4)	46 (19.2)
3. मीडिया का प्रभाव	19 (7.9)	36 (15.0)
4. समाज–सुधार आंदोलनों का प्रभाव	10 (4.2)	29 (12.1)
5. कानूनों का प्रभाव	9 (3.8)	14 (5.8)
6. अन्तर्जातीय विवाह	5 (2.1)	18 (7.5)
7. उद्योगिकीकरण	11 (4.6)	24 (10.0)
8. राजनीति का प्रभाव	3 (1.3)	6 (2.5)
उत्तर नहीं दिया	11 (4.6)	23 (9.6)
कुल	**240**	**240**

प्रथम वरीयताक्रम में 45.4% उत्तरदाता भारतीय समाज में जाति के नियमों व बंधनों के कमजोर होने के लिए शिक्षा के प्रसार को जबकि 26.3% उत्तरदाता शहरीकरण को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं।

द्वितीय वरीयताक्रम में 15% उत्तरदाता इसके लिए मीडिया तथा 12.1% इसके लिए समाज–सुधार आन्दोलनों के प्रभाव को जिम्मेदार मानते हैं। कानूनों व राजनीति के प्रभावों को ज्यादातर उत्तरदाताओं ने इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना है।

8.4.iii क श्रेणी के आधार पर

कारक \ वरीयताक्रम	प्रथम		द्वितीय	
	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित
1. शहरीकरण	10 (19.6)	53 (28.0)	7 (13.7)	37 (19.6)
2. शिक्षा का प्रसार	23 (45.1)	86 (45.5)	8 (15.7)	38 (20.1)
3. मीडिया का प्रभाव	4 (7.8)	15 (7.9)	5 (9.8)	31 (16.4)
4. समाज-सुधार आंदोलनों का प्रभाव	4 (7.8)	6 (3.2)	5 (9.8)	24 (12.7)
5. कानूनों का प्रभाव	0	9 (4.8)	5 (9.8)	9 (4.8)
6. अन्तर्जातीय विवाह	1 (2.0)	4 (2.1)	10 (19.6)	8 (4.2)
7. उद्योगिकीकरण	4 (7.8)	7 (3.7)	2 (3.9)	22 (11.6)
8. राजनीति का प्रभाव	0	3 (1.6)	2 (3.9)	4 (2.1)
उत्तर नहीं दिया	5 (9.8)	6 (3.2)	7 (13.7)	16 (8.5)
कुल	**51**	**189**	**51**	**189**

श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया में काफी हद तक मतैक्य देखने को मिला। दोनों के लगभग 45% उत्तरदाता एकमत से इसके लिए शिक्षा के प्रसार को जिम्मेदार मानते हैं। अनारक्षित श्रेणी के 28% उत्तरदाता शहरीकरण को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं परन्तु आरक्षित श्रेणी में ऐसा मानने वाले केवल 19.6% शिक्षक ही हैं। आरक्षित श्रेणी के 19.6% उत्तरदाता (**द्वितीय वरीयताक्रम**) इसके लिए अन्तर्जातीय विवाह को जिम्मेदार मानते हैं परन्तु अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते।

दोनों श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाता कानूनों व राजनीति, इनमें भी विशेषकर राजनीति के प्रभाव को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं जो यह दर्शाता है कि समाज में जातीय भेदभाव को दूर करने में कानून व राजनीति कोई अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई है वरन् राजनीतिज्ञों ने तो आरक्षण-नीति का राजनीतिकरण कर दिया है (**तालिका 8.2.ii क**) जिससे यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भटक गई है।

श्रीनिवास (1969), **पटवर्धन** (1973) आदि ने समाज में जाति के नियमों व बंधनों के कमजोर होने के लिए शहरीकरण व शिक्षा के प्रसार को जिम्मेदार माना था। प्रस्तुत शोध के ज्यादातर नमूना शिक्षक भी मानते हैं कि शिक्षा व कुछ हद तक शहरीकरण व्यक्ति की जाति के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने में सहायक रहे हैं। परन्तु मेरे कुछ अनुभव **(अध्याय 3)** व **अध्याय 6** व **7** में प्राप्त नतीजे ऐसा नहीं दर्शाते।

8.4.iv अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा के बगैर भारतीय समाज से जातिवाद व सामाजिक असमानता जैसी बुराईयां समाप्त नहीं हो सकतीं

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. असहमत	58	24.2
2. आंशिक रूप से सहमत	100	41.7
3. सहमत	79	32.9
उत्तर नहीं दिया	3	1.3
कुल	**240**	**100.0**

41.7% उत्तरदाता इस कथन से आंशिक रूप से ही सहमत हैं कि अन्तर्जातीय विवाह भारतीय समाज से जातिवाद व सामाजिक असमानता जैसी बुराईयों को दूर कर सकते हैं जबकि 24.2% इससे पूरी तरह असहमत हैं।

8.4.iv क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. असहमत	5 (9.8)	53 (28.0)
2. आंशिक रूप से सहमत	24 (47.1)	76 (40.2)
3. सहमत	22 (43.1)	57 (30.2)
उत्तर नहीं दिया	0	3 (1.6)
कुल	**51**	**189**

आरक्षित व अनारक्षित, दोनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में थोड़ा मतभेद देखने को मिला। आरक्षित श्रेणी के 43.1% उत्तरदाता इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है परन्तु अनारक्षित श्रेणी के 28% उत्तरदाता इससे सहमत नहीं हैं। अर्थात् अनारक्षित श्रेणी की तुलना में आरक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह को समाज से जातीय भेदभाव को मिटाने में सहायक मानते हैं परन्तु **पाठक (1981)** के अध्ययन में अनु.जाति व जनजाति के लगभग 70% उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह को उचित नहीं मानते थे, **प्रजापति (1982)** के अध्ययन में अनु.जाति के उत्तरदाता कुछ हद तक ही अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। **सामंत (1992)** के अध्ययन में अनु.जाति की तुलना में गैर अनु. जाति के ज्यादा उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। **रानी (1992)** के अध्ययन में लगभग 70% शिक्षक अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। इस प्रकार पूर्व की ही भांति वर्तमान शोध में भी आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की मिली जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

8.4.v यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी जाति से निम्न जाति के किसी व्यक्ति के साथ अन्तर्जातीय विवाह करना चाहेगा तो

विकल्प अनुमति देंगें	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	34	12.5
2. हाँ	105	43.8
3. हाँ, लेकिन खुशी से नहीं	54	22.5
4. कह नहीं सकते	50	20.8
उत्तर नहीं दिया	1	0.4
कुल	**240**	**100.0**

22.5% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अनुमति तो देगें परन्तु खुशी से नहीं (अर्थात् मजबूरी में देगें) जबकि 12.5% अन्तर्जातीय विवाह (अपनी जाति से निम्न जाति में) की अनुमति नहीं देगें। 20.8% शिक्षक इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकते।

8.4.v क श्रेणी के आधार पर

विकल्प अनुमति देंगें	आरक्षित	अनारक्षित
1. नहीं	3 (5.9)	27 (14.3)
2. हाँ	34 (66.7)	71 (37.6)
3. हाँ, लेकिन खुशी से नहीं	8 (15.7)	46 (24.3)
4. कह नहीं सकते	6 (11.8)	44 (23.3)
उत्तर नहीं दिया	0	1 (0.5)
कुल	**51**	**189**

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद दिखलाई पड़ा। जहां आरक्षित श्रेणी के 66.7% उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति देने को सहर्ष तैयार हैं वहीं अनारक्षित श्रेणी के केवल 37.6% उत्तरदाता ही खुशी से अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी जाति से निम्न जाति में अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति देंगें। अनारक्षित श्रेणी के 24.3% उत्तरदाता अपने परिवार के किसी सदस्य को अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति तो देंगें परन्तु खुशी से नहीं जबकि 14.3% उत्तरदाता ऐसे हैं जो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगें। अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह के विरूद्ध हैं जो उनकी जातीय रूढ़िवादिता को दर्शाती है। **प्रजापति (1982)** के अध्ययन में अनु.जाति के भी ज्यादातर उत्तरदाता अपनी जाति की लड़कियों की शादी दूसरी जाति में करने के विरूद्ध थे परन्तु प्राप्त नतीजे ऐसा नहीं दर्शाते।

8.5 आरक्षण सुविधा व शिक्षक प्रतिक्रिया

8.5.i:- आरक्षण सुविधाओं को (जाति के आधार पर) केवल अनुसूचित जाति व जनजाति को देना

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. अनु. जाति व जनजाति के साथ अब तक हुए शोषण को देखते हुए उचित है	59	24.6
2. रोजगार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुचित है	41	17.1
3. शिक्षा में उचित है परन्तु रोजगार में अनुचित है	94	39.2
4. हर क्षेत्र में अनुचित है	35	14.6
उत्तर नहीं दिया	11	4.6
कुल	**240**	**100.0**

प्राप्त तालिका से ज्ञात होता है कि 39.2% उत्तरदाता वर्तमान समय में अन्य समुदायों व वर्गों को भी आरक्षण सुविधाओं की जरूरत होने के बावजूद केवल अनु.जाति व जनजाति को ही इस सुविधा को देना शिक्षा में तो उचित मानते हैं परन्तु रोजगार में नहीं। परन्तु 24.6% उत्तरदाता इसे उनके लिए इस आधार पर उचित मानते हैं कि अनु.जाति व जनजाति के लोगों ने बहुत सालों तक भुगता (शोषण) है, अतः अब केवल उन्हीं को यह सुविधा मिलनी चाहिए।

8.5.i क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. अनु.जाति व जनजाति के साथ अब तक हुए शोषण को देखते हुए उचित है	32 (62.7)	27 (14.3)
2. रोजगार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुचित है	7 (13.7)	34 (18.0)
3. शिक्षा में उचित है परन्तु रोजगार में अनुचित है	9 (17.6)	85 (45.0)
4. हर क्षेत्र में अनुचित है	1 (2.0)	34 (18.0)
उत्तर नहीं दिया	2 (3.9)	9 (4.8)
कुल	**51**	**189**

श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतभेद दिखलाई पड़ा। आरक्षित श्रेणी के 62.7% उत्तरदाता इसे इस आधार पर उचित मानते हैं कि अनु.जाति व जनजाति के लोगों ने बहुत सालों तक भुगता है। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 63.0% उत्तरदाता इसे उनके लिए शिक्षा में तो उचित मानते हैं परन्तु रोजगार में नहीं (**विकल्प 2 व 3**)। इनके 18% उत्तरदाता इसे हर क्षेत्र में अनुचित मानते हैं। **प्रजापति (1982)** ने अपने अध्ययन में दर्शाया था कि अनु.जाति के ज्यादातर उत्तरदाता इस नीति को इसलिए बनाये रखना चाहते हैं कि वे इस नीति के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं को खोना नहीं चाहते। **सिंह (1993)** के अध्ययन में भी उत्तरदाताओं की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। प्राप्त नतीजे भी इसकी पुष्टि करते हैं।

8.5.ii सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के दौरान छूटों की सुविधा 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के सदस्यों को भी अनु.जाति व जनजाति की ही भांति आवश्यक है

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. नहीं	91	37.9
2. हाँ	120	50.0
3. कह नहीं सकते	21	8.8
उत्तर नहीं दिया	8	3.3
कुल	**240**	**100.0**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 50% उत्तरदाता 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को भी ~~सरकारी~~ नौकरियों में अनु.जाति व जनजाति की ही भांति अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के पक्ष में हैं जबकि 37.9% इसके विरूद्ध हैं।

8.5.ii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. नहीं	16 (31.4)	75 (39.7)
2. हाँ	28 (54.9)	92 (48.7)
3. कह नहीं सकते	6 (11.8)	15 (7.9)
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	7 (3.7)
कुल	**51**	**189**

श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में थोड़ा अंतर देखने को मिला। आरक्षित श्रेणी के 54.9% जबकि अनारक्षित श्रेणी के 48.7% शिक्षक ही 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को नियुक्ति के दौरान छूट देने के पक्ष में हैं। परन्तु दोनों श्रेणियों के क्रमशः 31.4% व 39.7% शिक्षक ऐसा नहीं चाहते।

8.5.iii शिक्षा के क्षेत्र में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को भी अनु.जाति व जनजाति के समान आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	81	33.8
2. हाँ	135	56.3
3. कह नहीं सकते	15	6.3
उत्तर नहीं दिया	9	3.8
कुल	**240**	**100.0**

56.3% उत्तरदाता शिक्षा के क्षेत्र में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को भी अनु.जाति व जनजाति की ही भांति आरक्षण की सुविधा दिये जाने के पक्ष में हैं जबकि 33.8% इसके विरुद्ध हैं।

8.5.iii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. नहीं	9 (17.6)	72 (38.1)
2. हाँ	35 (68.6)	100 (52.9)
3. कह नहीं सकते	6 (11.8)	9 (4.8)
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	8 (4.2)
कुल	**51**	**189**

आरक्षित श्रेणी के 68.6% शिक्षक उत्तरदाता शिक्षा के क्षेत्र में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को अनु.जाति व जनजाति की भांति आरक्षण की सुविधा दिये जाने के पक्ष में हैं। यद्यपि अनारक्षित श्रेणी के भी 52.9% उत्तरदाता इसके पक्ष में हैं परन्तु इनके 38.1% ऐसा नहीं चाहते।

प्राप्त नतीजे दर्शाते हैं कि यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में (सरकारी नौकरी व शिक्षा में) आरक्षित श्रेणी के ज्यादा शिक्षक 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को अनु. जाति व जनजाति की भांति आरक्षण सुविधाएं दिये जाने के पक्ष में हैं परन्तु इनमें भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा चाहने वाले उत्तरदाता ज्यादा हैं जिसका कारण नौकरियों की कमी के कारण प्रतियोगिता का बढ़ना हो सकता है।

8.5.iv शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण

विकल्प / कथन	असहमत	सहमत	पता नहीं	उत्तर नही दिया
1. केवल शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिले नौकरी के क्षेत्र में नहीं	87 (36.3)	142 (59.2)	3 (1.3)	8 (3.3)
2. केवल नौकरी के क्षेत्र में ही आरक्षण मिले शिक्षा के क्षेत्र में नहीं	203 (84.6)	9 (3.8)	9 (3.8)	19 (7.9)
3. केवल प्रथम डिग्री कोर्स में ही आरक्षण मिले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नहीं	122 (50.8)	90 (37.5)	14 (5.8)	14 (5.8)
4. केवल प्रथम नियुक्ति में ही आरक्षण मिले पदोन्नति में नहीं	93 (38.8)	132 (55.0)	7 (2.9)	8 (3.3)
5. केवल व्यावसायिक व प्राविधिक विषयों की शिक्षा में ही आरक्षण मिले अन्यों में नहीं	149 (62.1)	48 (20.0)	24 (10.0)	19 (7.9)
6. केवल सामान्य शिक्षा में ही आरक्षण मिले व्यावसायिक शिक्षा में नहीं	113 (47.1)	93 (38.8)	19 (7.9)	15 (6.3)
7. हर प्रकार की शिक्षा में आरक्षण मिले	122 (50.8)	88 (36.7)	15 (6.3)	15 (6.3)
8. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आरक्षण मिले	133 (55.4)	77 (32.1)	15 (6.3)	15 (6.3)
9. नौकरी के हर स्तर पर (पदोन्नति में भी) आरक्षण मिले	175 (72.9)	47 (19.6)	6 (2.5)	12 (5.0)

कुल उत्तरदाता – 240

प्राप्त डेटा से ज्ञात होता है कि 84.6% शिक्षक इससे कि केवल नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण मिले शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जबकि 62.1% इससे कि केवल व्यावसायिक शिक्षा में ही आरक्षण मिले अन्यों में नहीं, से असहमत हैं। अर्थात् ये उत्तरदाता नौकरी व शिक्षा दोनों में आरक्षण चाहते हैं। साथ ही ये सभी प्रकार की शिक्षा में भी आरक्षण चाहते हैं। इसके विपरीत 59.2% उत्तरदाता चाहते हैं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिले

नौकरी के क्षेत्र में नहीं जबकि 55% केवल प्रथम नियुक्ति में आरक्षण चाहते हैं पदोन्नति में नहीं। 72.9% उत्तरदाता नौकरी के हर स्तर पर आरक्षण दिये जाने से असहमत हैं।

8.5.iv क श्रेणी के आधार पर

कथन	विकल्प	असहमत	सहमत	पता नहीं	उत्तर नही दिया
1. केवल शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिले नौकरी के क्षेत्र में नहीं	आरक्षित	42 (82.4)	8 (15.7)	1 (2.0)	0
	अनारक्षित	45 (23.8)	134 (70.9)	2 (1.1)	8 (4.2)
2. केवल नौकरी के क्षेत्र में ही आरक्षण मिले शिक्षा के क्षेत्र में नहीं	आरक्षित	47 (92.2)	1 (2.0)	1 (2.0)	2 (3.9)
	अनारक्षित	156 (82.5)	8 (4.2)	8 (4.2)	17 (9.0)
3. केवल प्रथम डिग्री कोर्स में ही आरक्षण मिले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नहीं	आरक्षित	44 (86.3)	4 (7.8)	3 (5.9)	0
	अनारक्षित	78 (41.3)	86 (45.5)	11 (5.8)	14 (7.4)
4. केवल प्रथम नियुक्ति में ही आरक्षण मिले पदोन्नति में नहीं	आरक्षित	34 (66.7)	15 (29.4)	2 (3.9)	0
	अनारक्षित	59 (31.2)	117 (61.9)	5 (2.6)	8 (4.2)
5. केवल व्यावसायिक व प्राविधिक विषयों की शिक्षा में ही आरक्षण मिले अन्यों में नहीं	आरक्षित	42 (82.4)	6 (11.8)	3 (5.9)	0
	अनारक्षित	107 (56.6)	42 (22.2)	21 (11.1)	19 (10.1)
6. केवल सामान्य शिक्षा में ही आरक्षण मिले व्यावसायिक शिक्षा में नहीं	आरक्षित	44 (86.3)	4 (7.8)	3 (5.9)	0
	अनारक्षित	69 (36.5)	89 (47.1)	16 (8.5)	15 (7.9)
7. हर प्रकार की शिक्षा में आरक्षण मिले	आरक्षित	6 (11.8)	40 (78.4)	4 (7.8)	1 (2.0)
	अनारक्षित	116 (61.4)	48 (25.4)	11 (5.8)	14 (7.4)
8. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आरक्षण मिले	आरक्षित	7 (13.7)	39 (76.5)	3 (5.9)	2 (3.9)
	अनारक्षित	126 (66.7)	38 (20.1)	12 (6.3)	13 (6.9)
9. नौकरी के हर स्तर पर (पदोन्नति में भी) आरक्षण मिले	आरक्षित	14 (27.5)	35 (68.6)	2 (3.9)	0
	अनारक्षित	161 (85.2)	12 (6.3)	4 (2.1)	12 (6.3)

कुल उत्तरदाता – 240 आरक्षित – 51 अनारक्षित – 189

श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद देखने को मिला। आरक्षित श्रेणी के 78.4% शिक्षक उत्तरदाता हर प्रकार की शिक्षा में, 76.5% शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व 68.6% नौकरी के हर स्तर पर (पदोन्नति में भी) आरक्षण चाहते हैं। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 70.9% उत्तरदाता चाहते हैं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण हो नौकरी के क्षेत्र में नहीं जबकि इनके 61.9% केवल प्रथम नियुक्ति में आरक्षण की बात करते हैं परन्तु पदोन्नति में वे आरक्षण नहीं चाहते।

प्राप्त नतीजे दर्शाते हैं कि जहां आरक्षित श्रेणी के शिक्षित वर्ग को लगता है कि उन्हें आज भी हर क्षेत्र में व हर स्तर पर आरक्षण की आवश्यकता है वहीं अनारक्षित श्रेणी का शिक्षित वर्ग उन्हें शिक्षा में तो (विशेषकर सामान्य शिक्षा में) आरक्षण दिये जाने के पक्ष में है परन्तु वे नौकरी के क्षेत्र में (विशेषकर पदोन्नति में) आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध है। दोनों ही श्रेणियों के शिक्षकों की प्रतिक्रिया में असुरक्षा का भाव दिखाई देता है। आरक्षित श्रेणी के लोगों को लगता है कि वे आरक्षण सुविधा के बिना किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं दूसरी ओर अनारक्षित श्रेणी के लोगों को लगता है कि नौकरी में कड़ी प्रतियोगिता के कारण आरक्षित समूह उनका हक छीन लेते हैं तथा उनसे अयोग्य व जूनियर होने के बावजूद पदोन्नति के कारण उनसे आगे निकल जाते हैं जिससे वे मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जाते हैं।

8.5.v प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. हाँ, वे लाभदायक रहेंगे	59	24.6
2. लागू किया जा सकता है, परन्तु उसका कोई ख़ास फायदा नहीं होगा	56	23.3
3. नहीं, यह देश के विकास में बाधक होंगे	97	40.4
4. नहीं, यह औद्योगिकीकरण में बाधक होंगे	22	9.2
उत्तर नहीं दिया	6	2.5
कुल	**240**	**100.0**

कुल मिलाकर 49.6% उत्तरदाता प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू किये जाने के पक्ष में नहीं हैं। 40.4% शिक्षकों को लगता है कि यह देश के विकास में बाधक होगा जबकि 9.2% का मानना है कि यह औद्योगिकरण में बाधक होगा। 23.3% उत्तरदाताओं को लगता है कि प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू तो किया जा सकता है परन्तु उसका कोई ख़ास फायदा नहीं होगा। केवल एक–चौथाई उत्तरदाता ही प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू किये जाने के पक्ष में हैं।

8.5.v क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. हाँ, वे लाभदायक रहेंगे	34 (66.7)	25 (13.2)
2. लागू किया जा सकता है, परन्तु उसका कोई खास फायदा नहीं होगा	8 (15.7)	48 (25.4)
3. नहीं, यह देश के विकास में बाधक होंगे	4 (7.8)	93 (49.2)
4. नहीं, यह औद्योगिकीकरण में बाधक होंगे	4 (7.8)	18 (9.5)
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	5 (2.6)
कुल	**51**	**189**

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद दिखलाई पड़ा। आरक्षित श्रेणी के 66.7% शिक्षक प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू किये जाने के पक्ष में हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के कुल 58.8% शिक्षक प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू किये जाने के विरूद्ध हैं। इनके 49.3% को लगता है कि यह देश के विकास में बाधक होगा जबकि इनके एक–चौथाई शिक्षकों को लगता है कि इसका कोई ख़ास फायदा नहीं होगा। उनकी ऐसी सोच का प्रमुख कारण यही हो सकता है कि समाज में आरक्षित श्रेणी के लोगों की क़ाबिलियत को लेकर एक प्रश्नचिन्ह् लगाया जाता रहा है, अतः उन्हें लगता है कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण–व्यवस्था लागू होने से कम सक्षम व अयोग्य व्यक्ति नौकरियों में आ जायेंगें जिससे इन संस्थानों की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ आरक्षित श्रेणी के लोगों को लगता है कि अब सरकारी नौकरियाँ बहुत ही कम रह गई हैं जबकि

प्राइवेट संस्थानों में बहुत गुंजाइश है, अतः वे इनमें आरक्षण लागू किये जाने को अपने लिए लाभदायक मानते हैं। यही कारण है कि **अनु.जाति एवं जनजाति के राष्ट्रीय आयोग** ने भी अपनी छठी रिपोर्ट (2001) में निजी संस्थानों में इन वर्गों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने की मांग की है। दलितों के महासम्मेलनों में भी ऐसी मांगें दोहराई जाती रही हैं। **सिंह** (1992) ने भी अपने अध्ययन में ऐसी ही मांग की है। अतः वर्तमान शोध का आरक्षित श्रेणी का शिक्षित वर्ग भी इसी मांग की पुष्टि करता है।

8.5.vi विश्वविद्यालय स्तर के अकादमिक पदों पर आरक्षण

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	146	60.8
2. हाँ	51	21.3
3. केवल प्रथम नियुक्ति में	41	17.1
उत्तर नहीं दिया	2	0.8
कुल	**240**	**240**

तालिका 8.5.vi से ज्ञात होता है कि कुल 60.8% उत्तरदाता विश्वविद्यालय स्तर के अकादमिक पदों पर आरक्षण के विरूद्ध हैं जबकि 17.1% इसे केवल प्रथम नियुक्ति में ही चाहते हैं।

8.5.vi क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित	
1. नहीं	4 (7.8)	142 (75.1)	
2. हाँ	38 (74.5)	13 (6.9)	
3. केवल प्रथम नियुक्ति में	9 (17.6)	32 (16.9)	
उत्तर नहीं दिया	0	2 (1.1)	**$X^2 = 115.642$ df = 2 L. S_m = 0.05**
कुल	**51**	**189**	

शिक्षकों की प्रतिक्रिया में विपरीत ध्रुवों वाला अंतर देखने को मिला। जहां आरक्षित श्रेणी के 74.5% शिक्षक उत्तरदाता विश्वविद्यालय स्तर के अकादमिक पदों पर

आरक्षण दिये जाने के पक्ष में हैं वहीं अनारक्षित श्रेणी के 75.1% ऐसा नहीं चाहते अर्थात् वे इसके विरूद्ध हैं। दोनों श्रेणियों के शिक्षकों की प्रतिक्रिया में पाया गया अंतर 0.05 संभाव्यता स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यहां शिक्षकों की सोच में एक बार फिर नौकरी का मनोविज्ञान परिलक्षित होता है। **बेते (1992)** जैसे समाजशास्त्री भी विश्वविद्यालय के अकादमिक पदों पर आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध हैं। अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की प्रतिक्रिया उनकी इसी सोच से मेल खाती है।

8.5.vii सुरक्षा –सेवाओं की नौकरियों में आरक्षण

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	149	62.1
2. हाँ	58	24.2
3. कुछ हद तक	31	12.9
उत्तर नहीं दिया	2	0.8
कुल	**240**	**100.0**

कुल 62.1% उत्तरदाता सुरक्षा–सेवाओं की नौकरियों में आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। केवल एक–चौथाई (24.2%) उत्तरदाता ही ऐसे हैं जो सुरक्षा–सेवाओं की नौकरियों में भी आरक्षण दिये जाने के पक्ष में हैं जबकि 12.9% कुछ हद तक ही ऐसा चाहते हैं।

8.5.vii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित	
1. नहीं	6 (11.8)	143 (75.7)	
2. हाँ	32 (62.7)	26 (13.8)	
3. कुछ हद तक	13 (25.5)	18 (9.5)	
उत्तर नहीं दिया	0	2 (1.1)	**X^2 = 71.664** **df = 1** **L. S_m = 0.05**
कुल	**51**	**189**	

पूर्व की ही भांति इस क्षेत्र मे भी आरक्षण चाहने वाले ज्यादा उत्तरदाता (62.7%) आरक्षित श्रेणी के ही हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के 75.7% उत्तरदाता सुरक्षा–सेवाओं की नौकरियों में आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध हैं। श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया

में पाया गया अंतर 0.05 संभाव्यता स्तर पर महत्वपूर्ण है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आरक्षित श्रेणी के भी एक–चौथाई उत्तरदाता इसके कुछ हद तक ही पक्ष में हैं पूरी तरह नहीं। अर्थात् उन्हें भी लगता है कि सुरक्षा जैसे मसले पर आरक्षण सुविधा देना देशहित में नहीं होगा।

8.6 आरक्षण विरोध व समर्थन के कारण

8.6.i शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिये जाने के कारण

कारण	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. **शिक्षा** – सामाजिक गतिशीलता को तेज कर देती है	35	19.4
2. नौकरियों के लिए प्रवेश योग्यता को बढ़ाती है	33	18.3
3. आत्मछवि को बढ़ाती और निखारती है	23	12.8
4. भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है	62	34.4
5. अन्य कारण	8	4.4
6. विकल्प 1 व 4	3	1.7
7. विकल्प 2 व 3	2	1.1
8. उपरोक्त सभी	8	4.4
उत्तर नहीं दिया	6	3.3
कुल	**180**	**100.00**
लागू नहीं	60	
कुल	**240**	**240**

(नोट : संख्या 8.5.iv में ऐसा चाहने वाले कुल 180 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

34.4% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षा भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है जबकि 19.4% मानते हैं कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को तेज कर देती है। 18.3% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा नौकरियों के लिए प्रवेश योग्यता को बढ़ाती है। 4.4% ने अन्य कारणों जैसे शिक्षा ही उन्नति और जागृति का मार्ग है, शिक्षा समय के साथ–साथ चलने की क्षमता पैदा करती है तथा शिक्षा आत्मछवि को निखारने

के साथ-साथ भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता भी प्रदान करती है, के पक्ष में अपनी राय प्रकट की।

8.6.i क श्रेणी के आधार पर

कारण	आरक्षित	अनारक्षित
1. **शिक्षा** – सामाजिक गतिशीलता को तेज कर देती है	11 (22.9)	24 (18.2)
2. नौकरियों के लिए प्रवेश योग्यता को बढ़ाती है	4 (8.3)	29 (21.9)
3. आत्मछवि को बढ़ाती और निखारती है	1 (2.1)	22 (16.7)
4. भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है	25 (52.1)	37 (28.0)
5. अन्य कारण	5 (10.4)	3 (2.3)
6. विकल्प 1 व 4	1 (2.1)	2 (1.5)
7. विकल्प 2 व 3	0	2 (1.5)
8. उपरोक्त सभी	1 (2.1)	7 (5.3)
उत्तर नहीं दिया	0	6 (4.5)
कुल	**48**	**132**
लागू नहीं	3	57
कुल	**51**	**189**

आरक्षित श्रेणी के 52.1% शिक्षक उत्तरदाता शिक्षा (विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा) के क्षेत्र में आरक्षण दिये जाने के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिक्षा भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है। यद्यपि अनारक्षित श्रेणी के 28% उत्तरदाता भी ऐसा ही मानते हैं परन्तु इनके 21.9% मानते हैं कि शिक्षा नौकरियों में प्रवेश योग्यता को बढ़ाती है। दोनों श्रेणियों के क्रमशः 22.9% व 18.2% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को तेज कर देती है जबकि अनारक्षित श्रेणी के 16.7%उत्तरदाताओं को लगता है कि शिक्षा आत्मछवि को बढ़ाती और निखारती है।

पटवर्धन (1973) ने अपने अध्ययन में पाया था कि शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा प्रतिष्ठा का सूचक है जबकि **सिवकुमार** (1982), **पटेल** (1983) व **सच्चिदानंद** (1990) के अनुसार शिक्षा आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकती है क्योंकि शिक्षा ही रोजगार प्राप्त करने का जरिया है। **शिवलिंगैया** के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की बंद आँखें खोलने का साधन है ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके तथा दिमाग बढ़ा सके (**एन.सी.ई. आर.टी. 1992**)। **आर्य** (1997) ने माना कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की गति को बढ़ाती है। **दलित साहित्य** में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि शिक्षा हमें अपनी पुरानी परंपराओं से शर्म करना सिखाती है। साथ ही यह भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की शक्ति भी देती है। प्राप्त नतीजे भी इन्हीं दृष्टिकोणों की पुष्टि करते हैं।

8.6.ii पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि

कारण	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पदोन्नति में आरक्षण से आरक्षित श्रेणी के लोगों को दोहरा लाभ हो जायेगा जबकि अन्य लोग पिछड़ जाएगें	64	33.2
2. इससे अन्य लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं	11	5.7
3. इससे योग्यता व ईमानदारी की अनदेखी होती है	93	48.2
4. अन्य कारण	2	1.0
5. विकल्प 1, 2 व 3	21	10.8
उत्तर नहीं दिया	2	1.0
कुल	**193**	**100**
लागू नहीं	47	
कुल	**240**	**240**

(नोट : संख्या 8.5.iv में ऐसा चाहने वाले 193 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

तालिका 8.6.ii से ज्ञात होता है कि 48.2% उत्तरदाता पदोन्नति में आरक्षण के विरूद्ध हैं क्योंकि इससे योग्यता व ईमानदारी की अनदेखी होती है। 33.2% उत्तरदाता

पदोन्नति में आरक्षण का इस आधार पर विरोध करते हैं कि इससे आरक्षित समुदाय के व्यक्ति को दोहरा लाभ प्राप्त हो जायेगा जबकि अन्य लोग पदोन्नति में पिछड़ जायेंगे।

8.6.ii क श्रेणी के आधार पर

कारण	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. पदोन्नति में आरक्षण से आरक्षित श्रेणी के लोगों को दोहरा लाभ हो जायेगा जबकि अन्य लोग पिछड़ जाएगें	11 (52.4)	53 (30.8)
2. इससे अन्य लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं	0	11 (6.4)
3. इससे योग्यता व ईमानदारी की अनदेखी होती है	7 (33.3)	86 (50.0)
4. अन्य कारण	0	2 (1.2)
5. विकल्प 1, 2 व 3	2 (9.5)	19 (11.0)
उत्तर नहीं दिया	1 (4.8)	1 (0.6)
कुल	**21**	**172**
लागू नहीं	30	17
कुल	**51**	**189**

यद्यपि अन्य अनेक प्रश्नों में आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता पदोन्नति में भी आरक्षण दिये जाने के पक्षधर हैं परन्तु जब उनसे पूछा गया कि यदि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाये तो इसका क्या कारण होना चाहिए, उनके 52.4% उत्तरदाताओं ने कहा कि इससे आरक्षित श्रेणी के लोगों को तो दोहरा लाभ हो जायेगा जबकि अन्य लोग पदोन्नति में पिछड़ जायेंगे। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 50% उत्तरदाता पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के इसलिए विरूद्ध हैं कि इससे योग्यता व ईमानदारी की अनदेखी होती है। यद्यपि आरक्षित श्रेणी के भी 33.3% उत्तरदाता ऐसा मानते हैं परन्तु उक्त प्रतिक्रिया अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों के उसी दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसके तहत वे आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को अयोग्य मानते हुए आरक्षण का विरोध करते हैं।

8.6.iii शिक्षा व नौकरी दोनों क्षेत्र में आरक्षण आवश्यक है

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. असहमत	140	58.3
2. सहमत	82	34.2
3. पता नहीं	10	4.2
उत्तर नहीं दिया	8	3.3
कुल	**240**	**100.0**

प्राप्त तालिका से ज्ञात होता है कि 58.3% उत्तरदाता इससे असहमत हैं कि आरक्षण शिक्षा व नौकरी दोनों क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए क्योंकि एक क्षेत्र में दिया गया आरक्षण अधूरा होगा। उक्त कथन से सहमत होने वाले केवल 34.2% उत्तरदाता हैं।

8.6.iii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. असहमत	5 (9.8)	135 (71.4)
2. सहमत	45 (88.2)	37 (19.5)
3. पता नहीं	1 (2.0)	9 (4.8)
उत्तर नहीं दिया	0	8 (4.2)
कुल	**51**	**189**

आरक्षित श्रेणी के 88.2% उत्तरदाता इससे सहमत हैं कि शिक्षा व नौकरी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण आवश्यक हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के 71.4% उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। उपरोक्त नतीजे संख्या 8.5.iv में व्यक्त उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया की पुष्टि करते हैं जिसमें आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता शिक्षा व नौकरी, दोनों क्षेत्रों में आरक्षण दिये जाने के पक्ष में थे जबकि अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही आरक्षण दिये जाने के पक्ष में थे। **सिवकुमार (1982), चिटनिस (1986),** आदि ने भी माना है कि चूंकि शिक्षा आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती है तथा आर्थिक स्थिति में सुधार से सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता मिलती है अतः दोनों क्षेत्रों में आरक्षण आवश्यक है। **दलित आत्मकथाओं** में भी लेखकों ने कुछ ऐसे ही

विचार प्रकट किये थे[4]। आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों की प्रतिक्रिया इनसे मेल खाती है जबकि अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की प्रतिक्रिया **बेते** (1992) जैसे समाजशास्त्रियों की सोच से मेल खाती है जो नौकरियों में आरक्षण के विरूद्ध हैं।

8.6.iv इस विचार से सहमति के कारण

इस जानकारी के संबंध में उत्तरदाता से प्राप्त प्रतिक्रिया दर्शाती है कि शिक्षा व नौकरी, दोनों में आरक्षण चाहने वाले उत्तरदाताओं ने श्रेणी से ऊपर उठकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माना है कि चयन–प्रक्रिया में उच्च जाति व उच्च वर्ग का वर्चस्व होता है जो पूर्वागृह से ग्रस्त होता है, अतः जातीय भेदभाव के कारण उच्च जाति का अधिकारी वर्ग उन्हें बिना आरक्षण के नौकरी नहीं लेने देगा। चूंकि नौकरी पाने की आवश्यक शर्त शिक्षा है, अतः शिक्षा व नौकरी से ही व्यक्ति की बौद्धिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है जिससे आरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति होगी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी मिल ही जायेगी यह आवश्यक नहीं। साथ ही नौकरी के लालच में ही इस श्रेणी के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगें। इसके अतिरिक्त आज की राजनीति में रिश्वतखोरी, जातिवाद आदि के कारण गरीब व्यक्ति नौकरी पाने में सफल नहीं होते, अतः नौकरी में आरक्षण के बिना शिक्षा में दिया गया आरक्षण व्यर्थ हो जायेगा **(तालिका 8.6.iv परिशिष्ट II)** इसलिए उन्हें शिक्षा व नौकरी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

8.7 शिक्षा व आरक्षण; सामंजस्य या टकराव

8.7.i शिक्षा व आरक्षण-नीति के लक्ष्यों में

विकल्प	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. सामंजस्य है	101	42.1
2. अंतर्विरोध है	67	27.9
3. पता नहीं	62	25.8
उत्तर नहीं दिया	10	4.2
कुल	**240**	**100.0**

तालिका 8.7.i से ज्ञात होता है कि 42.1% उत्तरदाता शिक्षा व आरक्षण–नीति के लक्ष्यों में सामंजस्य देखते हैं जबकि 27.9% मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी (Contradictory) हैं। 25.8% उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई।

8.7.i क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित	
1. सामंजस्य है	37 (72.5)	64 (33.9)	
2. अंतर्विरोध है	4 (7.8)	63 (33.3)	
3. पता नहीं	9 (17.6)	53 (28.0)	
उत्तर नहीं दिया	1 (2.0)	9 (4.8)	$X^2 = 20.529$ df = 1 L. $S_m = 0.05$
कुल	**51**	**189**	

आरक्षित श्रेणी के 72.5% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा व आरक्षण–नीति के लक्ष्यों में सामंजस्य है जबकि अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता उक्त जानकारी के संदर्भ में आपस में बराबर बंटे हुए हैं। इनके 33.9% उत्तरदाता शिक्षा व आरक्षण–नीति के लक्ष्यों में सामंजस्य देखते हैं जबकि 33.3% उन्हें एक–दूसरे की विरोधी मानते हैं। इनके 28% उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई। श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की सोच में पाया गया अंतर 0.05 संभाव्यता स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया।

आरक्षण–नीति के प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त करना हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों (**शर्मा 1999**) तथा आयोगों (**कोठारी आयोग 1964, शिक्षक आयोग 1983**) के मत में शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन का एक नियामक व निर्धारक कारक है जिससे समाज में सामाजिक समानता आयेगी, अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा व आरक्षण-नीति दोनों के लक्ष्यों में सामंजस्य है। परन्तु अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में दर्शाया है कि शिक्षा ने समाज में सामाजिक असमानता को बढ़ाया है तथा इसने जातीय चेतना को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है (**कुमार 1983, पटेल 1983, शाह 1997**)। साथ ही चूंकि आरक्षण–नीति को उल्टा पक्षपात भी माना जाता है, अतः इससे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक–दूसरे की विरोधी हैं।

8.7.ii आरक्षण-नीति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में

विकल्प रूकावट पैदा करती है -	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	122	50.8
2. हाँ	91	37.9
3. पता नहीं	21	8.8
उत्तर नहीं दिया	6	2.8
कुल	**240**	**100.0**

50.8% उत्तरदाता नहीं मानते कि आरक्षण–नीति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रूकावट पैदा करती है जबकि 37.9% ऐसा मानते हैं।

8.7.ii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित	
1. नहीं	46 (90.2)	76 (40.2)	
2. हाँ	2 (3.9)	89 (47.1)	
3. पता नहीं	3 (5.9)	18 (9.5)	
उत्तर नहीं दिया	0	6 (3.2)	$X^2 = 37.643$ df = 1 $L.S_m = 0.05$
कुल	**51**	**189**	

आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने एकतरफा रूख अपनाते हुए माना कि आरक्षण–नीति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रूकावट पैदा नहीं करती है। अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता इस संबंध में एक बार फिर लगभग बराबर बंटे हुए हैं। अनारक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाता (47.1%) मानते हैं कि आरक्षण–नीति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रूकावट पैदा करती है जबकि इनके 40.2% ऐसा नहीं मानते। प्राप्त प्रतिक्रिया फिर से श्रेणी के आधार पर शिक्षकों की सोच को प्रभावित करती प्रतीत होती है जिसमें आरक्षित श्रेणी के लगभग सभी शिक्षक एक मत से आरक्षण–नीति का पक्ष लेते हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के लगभग आधे उत्तरदाता इसे शिक्षा के लक्ष्यों में रूकावट पैदा करने वाली मानते हैं। दोनों श्रेणियों के शिक्षकों की सोच में पाया गया अंतर 0.05 संभाव्यता स्तर पर महत्वपूर्ण है।

8.7.iii वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में

विकल्प **सहायक रही है**	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1. नहीं	110	45.8
2. हाँ	36	15.0
3. किसी हद तक	88	36.7
उत्तर नहीं दिया	6	2.5
कुल	**240**	**100.0**

उपरोक्त जानकारी के संबंध में प्राप्त उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से ज्ञात होता है कि 45.8% उत्तरदाता मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं रही है जबकि केवल 15% उत्तरदाता मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक रही है। 36.7% उत्तरदाताओं ने इसे कुछ हद तक ही सहायक माना है जो शिक्षा के प्रति उनकी निराशावादी सोच को दर्शाता है। शिक्षकों की प्रतिक्रिया हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। **शिक्षक आयोग (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1983)** ने लिखा था कि शिक्षण व्यवसाय का पतन हो रहा है तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस व्यवसाय को अपनाने में झिझक रहे हैं तथा ऐसे व्यक्ति यह सोचते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास में क्या भूमिका निभा सकती है (5.04)। शोध के शिक्षक भी कुछ ऐसी ही सोच रखते प्रतीत होते हैं।

8.7.ii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	**आरक्षित**	**अनारक्षित**
1. नहीं	21 (41.2)	89 (47.1)
2. हाँ	9 (17.6)	27 (14.3)
3. किसी हद तक	21 (41.2)	67 (35.4)
उत्तर नहीं दिया	0	6 (3.2)
कुल	**51**	**189**

श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतैक्य देखने को मिला। दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाता इस संबंध में बराबर बंटे हुए हैं। दोनों के क्रमशः 41.2% व

35.4% उत्तरदाता मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ हद तक ही सहायक रही है जबकि इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के 41.2% तथा अनारक्षित श्रेणी के 47.1% उत्तरदाता मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं रही है जो अपने आप में एक विचारणीय मुद्दा है कि आरक्षित श्रेणी के भी इतने शिक्षक ऐसा क्यों सोचते हैं।

लिंग व आयु के आधार पर भी ज्यादातर शिक्षक मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में या तो कुछ हद तक अथवा बिलकुल भी सहायक नहीं रही है। परन्तु इसे सहायक मानने वाले ज्यादा शिक्षक कालेजों (21.0%) व 51 वर्ष से अधिक (22.5%) आयु के हैं **(तालिका 8.7.iii ख, 8.7.iii ग, परिशिष्ट II)**।

प्रजापति (1982) के अनुसार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जातीय बंधनों को ढीला करने में नाकाम रही है। **कुमार (1983)** के अध्ययन में वर्तमान शिक्षा जातीय असमानता को बनाये रखने में मदद करती है। **उपलांकर (1986)** ने भी अपने शोध कार्य में पाया कि शिक्षा (उच्च शिक्षा) की वर्तमान व्यवस्था अनु.जाति व जनजाति के ज्यादातर छात्रों, जो निम्न वर्गीय प्रतिष्ठा व ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, के अनुरूप नहीं है। **अंबेडकर (एन.सी.ई.आर.टी., 1992)** को शिकायत थी कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था दूषित है क्योंकि यह जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं करती। **रानी (1992)** के मतानुसार वर्तमान शिक्षा पतनोमुखी है तथा पाठ्यक्रम अनुपयोगी व अवांछनीय है। **इलहिया (1996)** का मानना है कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था आरक्षित समूहों की जरूरतों व ज्ञान के स्तर के अनुरूप नहीं है। **आर्य (1997)** ने भी कुछ ऐसा ही पाया जबकि **शाह (1997)** ने पाया कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः समाज के एक छोटे तबके, जो कि पहले से ही लाभदायक स्थिति में है, की ही आवश्यकताएँ पूरी करती है। **कृपाल व गुप्ता (1999)** के अनुसार आई.आई.टी. जैसे संस्थान भी जातीय असमानता को पाटने में नाकाम रहे हैं। मेरे अनुभव भी यह दर्शाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति की जाति आधारित सोच को बदल पाने में काफी हद तक नाकाम रही है (देखें **अध्याय 3**) अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक नाकाम रही है।

8.7.iv शिक्षा-व्यवस्था को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक बनाये जाने का तरीका

विकल्प वरीयताक्रम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1. दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार करके	52 (44.8)	15 (12.9)	10 (8.6)
2. सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके	26 (22.4)	39 (33.6)	8 (6.9)
3. अध्यापकों को सामाजिक विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाकर	5 (4.3)	16 (13.8)	30 (25.8)
4. मातृभाषा में शिक्षण को अनिवार्य बनाकर	4 (3.4)	10 (8.6)	11 (9.5)
5. पाठ्यचर्या निर्माण में पिछड़ी जातियों को महत्व देकर	5 (4.3)	10 (8.6)	23 (19.8)
6. विद्यालय तक अभिभावकों की पहुँच करके	0	4 (3.4)	5 (4.3)
7. उच्च शिक्षा तक सभी के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करके	17 (14.6)	10 (8.6)	14 (12.1)
उत्तर नहीं दिया	7 (6.0)	12 (10.3)	15 (12.9)
कुल	**116**	**116**	**116**
लागू नहीं	124	124	124
कुल	**240**	**240**	**240**

(नोट – संख्या 8.7.iii में नहीं कहने वाले कुल 110 व उत्तर न देने वाले 6 अर्थात् कुल 116 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

प्रथम वरीयताक्रम में 44.8% शिक्षक उत्तरदाता मानते हैं कि दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार करके शिक्षा–व्यवस्था को आरक्षण–नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाया जा सकता है। प्रथम वरीयताक्रम में 22.4% व **द्वितीय वरीयताक्रम** में 33.6% शिक्षक मानते हैं कि सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके ऐसा किया जा सकता है जबकि **तृतीय वरीयताक्रम** में 25.8% शिक्षक इसके लिए अध्यापकों को सामाजिक विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाकर व 19.8% पाठ्यचर्या निर्माण में पिछड़ी जातियों को महत्व देकर शिक्षा व्यवस्था को आरक्षण-नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाये जाने की बात सोचते हैं।

8.7.iv क श्रेणी के आधार पर

वरीयताक्रम / विकल्प	प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित
1. दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार करके	6 (28.6)	46 (48.4)	4 (19.0)	11 (11.6)	3 (14.3)	7 (7.4)
2. सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके	10 (47.6)	16 (16.8)	5 (23.8)	34 (35.8)	1 (4.7)	7 (7.4)
3. अध्यापकों को सामाजिक विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाकर	1 (4.7)	4 (4.2)	1 (4.7)	15 (15.8)	10 (47.6)	20 (21.0)
4. मातृभाषा में शिक्षण को अनिवार्य बनाकर	0	4 (4.2)	5 (23.8)	5 (5.2)	0	11 (11.6)
5. पाठ्यचर्या निर्माण में पिछड़ी जातियों को महत्व देकर	0	5 (5.2)	0	10 (10.5)	3 (14.3)	20 (21.0)
6. विद्यालय तक अभिभावकों की पहुँच करके	0	0	0	4 (4.2)	1 (4.7)	4 (4.2)
7. उच्च शिक्षा तक सभी के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करके	3 (14.3)	14 (14.7)	4 (19.0)	6 (6.3)	1 (4.7)	13 (13.7)
उत्तर नहीं दिया	1 (4.7)	6 (6.3)	2 (9.5)	10 (10.5)	2 (9.5)	13 (13.7)

कुल उत्तरदाता – 116 आरक्षित – 21 अनारक्षित – 95

श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की सोच में अंतर देखने को मिला। जहाँ **प्रथम वरीयताक्रम** में आरक्षित श्रेणी के 47.6% शिक्षक मानते हैं कि सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके अर्थात् पब्लिक व सरकारी स्कूलों के अंतर को कम करके शिक्षा–व्यवस्था को आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक बनाया जा सकता है वहीं अनारक्षित श्रेणी के 48.4% शिक्षक मानते हैं कि ऐसा दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार करके किया जा सकता है।

द्वितीय वरीयताक्रम में आरक्षित श्रेणी के 23.8% शिक्षक मानते हैं कि सभी स्कूलों से अंग्रेजी समाप्त करके मातृभाषा में शिक्षण को अनिवार्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। **तृतीय वरीयताक्रम** में आरक्षित श्रेणी के 47.6% शिक्षक मानते हैं कि ऐसा अध्यापकों को सामाजिक

विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाकर ही किया जा सकता है। अनारक्षित श्रेणी के केवल 21% शिक्षक ही ऐसा मानते हैं। उनके 21% शिक्षक मानते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण में पिछड़ी जातियों को महत्त्व देकर शिक्षा–व्यवस्था को आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाया जा सकता है।

जोशी (1996) का मानना है कि परंपरागत स्कूली शिक्षा इस काम को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए वर्तमान शिक्षा की पद्धति ही नहीं वरन् उन उपकरणों को भी बदलने की जरूरत है जिनका हम परंपरागत शिक्षा पद्धति में उपयोग करते आ रहे हैं। **आर्य** (1997) का मानना है कि आरक्षण के बावजूद आज भी इस समुदाय में शिक्षा का अभाव है। चूंकि शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, अतः उन्होंने इसके लिए इनमें शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। **वेलास्कर** (1986), **राजगोपालन व सिंह** (1999) **तथा कृपाल** व **गुप्ता** (1999) ने दर्शाया कि आई.आई.टी. व मेडिकल जैसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले ज्यादातर छात्र उच्च जाति व उच्च वर्ग के थे जिनमें ज्यादातर पब्लिक या प्राइवेट स्कूलों से तथा अंग्रेजी अथवा मिले–जुले माध्यम से शिक्षा प्राप्त थे।

दलित साहित्य में भी इस बात का जिक्र आया है कि वर्तमान शिक्षा- व्यवस्था दलितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई। स्कूलों में अध्यापकों द्वारा इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तथा शिक्षण का माध्यम भी इनकी मातृभाषा से मेल नहीं खाता। **सिवकुमार** (1982) के अध्ययन में शिक्षकों ने पाया कि अंग्रेजी माध्यम के कारण ज्यादातर छात्र व्याख्यान समझ नहीं पाते जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि व रूचि भी प्रभावित होती है। **पटेल** (1983) ने अपने अध्ययन में पाया कि स्कूलों की भौगोलिक स्थिति स्कूलों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को तय करती है। चूंकि झोंपड़–पट्टी के स्कूलों में कमजोर व गरीब तबके के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अतः वे हर प्रकार से पिछड़ जाते हैं और समाज में असमानता का यह चक्र शिक्षा–व्यवस्था के द्वारा स्थायी कर दिया जाता है। **कुमार** (1983) ने अपने अध्ययन में दर्शाया है कि शिक्षक अपने पूर्वागृहों से ग्रसित होने के कारण कक्षा में पिछड़ों के पिछड़ेपन को स्थापित करने में मदद करते हैं। **देवी** (1986) ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च जाति के शिक्षक कक्षा में आज भी अनु.जाति के छात्रों की उपेक्षा करते हैं। **रानी** (1992) ने अपने अध्ययन में हरिजनों व

पिछड़ों की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। **ऐकरा (1996)** ने सुझाव दिया कि इनमें शिक्षा की सुलभता व प्रसार की तरफ ओर ध्यान देना होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न–भिन्न अध्ययनों में समाज से सामाजिक असमानता को दूर न कर पाने में अनेक कारकों को जिम्मेदार मानते हुए अलग–अलग सुझाव दिये गये। इनमें प्रमुख कमियाँ यही पाई गई कि आज भी दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का अभाव है, शिक्षक (विशेषकर उच्च जाति के) इनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, मातृभाषा में शिक्षण का अभाव तथा दोहरी शिक्षा प्रणाली भी आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में रूकावट बनते हैं। अतः समाज में सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके, स्कूल–कालेजों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था करके, शिक्षकों को इनके प्रति संवेदनशील बनाकर व इनमें शिक्षा का प्रसार करके वर्तमान शिक्षा को आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाया जा सकता है।

8.8 शिक्षकों के सुझाव

8.8.i आरक्षण की आवश्यकता को

विकल्प खत्म किया जा सकता है -	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. नहीं	67	27.9
2. हाँ	145	60.4
3. पता नहीं	22	9.2
उत्तर नहीं दिया	6	2.5
कुल	**240**	**100.0**

60.4% उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता को खत्म किया जा सकता है जबकि 27.9% ऐसा नहीं मानते।

8.8.i क श्रेणी के आधार पर

विकल्प	आरक्षित	अनारक्षित
1. नहीं	30 (58.8)	37 (19.6)
2. हाँ	20 (39.2)	125 (66.1)
3. पता नहीं	1 (2.0)	21 (11.1)
उत्तर नहीं दिया	0	6 (3.2)
कुल	**51**	**189**

अनारक्षित श्रेणी के 66.1% उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता को खत्म किया जा सकता है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के 58.8% उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। तालिका 8.1.ii ख में भी आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर शिक्षक इस नीति को अनिश्चितकाल तक बनाये रखने के पक्ष में थे जबकि अनारक्षित श्रेणी के लगभग 50% शिक्षक इसे केवल अगले 10 वर्षों तक ही जारी रखे जाने के पक्ष में थे। शिक्षकों की प्रतिक्रिया उनकी इसी सोच की पुष्टि करती है।

भीमप्पा (1992) ने माना था कि आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। **पनान्डीकर** (1997) के अनुसार भी आरक्षण कभी–न–कभी खत्म होना ही होगा (अधिकतम 2020 तक) परन्तु ज्यादातर समाजशास्त्री मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से आरक्षण–व्यवस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती। **प्रजापति** (1982) ने अपने अध्ययन में पाया था कि अनु.जाति के ज्यादातर लोग आरक्षण–नीति से मिलने वाली सुविधाओं के लालच में इसे बनाये रखने के पक्षधर हैं। **कृपाल व गुप्ता** (1999) के अध्ययन में भी आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर छात्र आई.आई.टी. में बिना आरक्षण के दाखिला मिलने के संबंध में अपनी काबिलियत पर शंका जताते हुए आरक्षण का पक्ष लेते हैं। प्राप्त नतीजे भी इन्हीं की पुष्टि करते हैं।

8.8.ii आरक्षण की आवश्यकता को खत्म करने के उपाय

विकल्प	नहीं	हाँ	उत्तर नहीं दिया	कुल
1. मातृभाषा में शिक्षण के द्वारा ?	24 (16.5)	74 (51.0)	47 (32.4)	**145**
2. प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम मातृभाषा करके?	27 (18.6)	64 (44.1)	54 (37.2)	**145**
3. प्रतियोगी परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करके ?	32 (22.1)	63 (43.4)	50 (34.5)	**145**
4. साक्षात्कार में पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व न देकर ?	16 (11.0)	84 (57.9)	45 (31.0)	**145**
5. उचित शैक्षिक व आर्थिक नीति बनाकर ?	4 (2.7)	130 (89.6)	11 (7.6)	**145**
6. अन्य	0	22 (15.2)	123 (84.8)	**145**

(नोट – संख्या 8.8.i का उत्तर हाँ में देने वाले 145 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर)

ज्यादातर उत्तरदाता (89.6%) मानते हैं कि उचित शैक्षिक व आर्थिक नीति बनाकर ही भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। 57.9% उत्तरदाताओं को लगता है कि ऐसा साक्षात्कार में पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व न देकर जबकि 51% को लगता है कि ऐसा मातृभाषा में शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है।

8.8.ii क श्रेणी के आधार पर

विकल्प		नहीं	हाँ	उत्तर नहीं दिया
1. मातृभाषा में शिक्षण के द्वारा ?	आरक्षित	6 (30.0)	7 (35.0)	7 (35.0)
	अनारक्षित	18 (14.4)	67 (53.6)	40 (32.0)
2. प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम मातृभाषा करके?	आरक्षित	4 (20.0)	10 (50.0)	6 (30.0)
	अनारक्षित	23 (18.4)	54 (43.2)	48 (38.4)
3. प्रतियोगी परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करके ?	आरक्षित	6 (30.0)	9 (45.0)	5 (25.0)
	अनारक्षित	26 (20.8)	54 (43.2)	45 (36.0)
4. साक्षात्कार में पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व न देकर ?	आरक्षित	4 (20.0)	11 (55.0)	5 (25.0)
	अनारक्षित	12 (9.6)	73 (58.4)	40 (32.0)
5. उचित शैक्षिक व आर्थिक नीति बनाकर ?	आरक्षित	1 (5.0)	17 (85.0)	2 (10.0)
	अनारक्षित	3 (2.4)	113 (90.4)	9 (7.2)
6. अन्य	आरक्षित	0	7 (35.0)	13 (65.0)
	अनारक्षित	0	15 (12.0)	110 (88.0)

कुल उत्तरदाता – 145 आरक्षित – 20 अनारक्षित – 125

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में काफी हद तक मतैक्य देखने को मिला। दोनों श्रेणियों के क्रमशः 85% व 90.4% उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता को उचित शैक्षिक व आर्थिक नीति बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है। अन्य अनेक विकल्पों के संबंध में भी दोनों श्रेणियों के शिक्षकों में मतैक्य देखने को मिला परन्तु जहां अनारक्षित श्रेणी के 53.6% उत्तरदाता मानते हैं कि ऐसा मातृभाषा में शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है वहीं आरक्षित श्रेणी में ऐसा मानने वाले केवल 35% शिक्षक

उत्तरदाता ही हैं। इनके 35% उत्तरदाता अन्य तरीकों से जैसे – उच्च जाति की मानसिकता बदलकर, जाति की पहचान को अथवा जाति को खत्म करके, स्वः रोजगार के साधन उपलब्ध कराके, पिछड़ी जाति को उतना ही समृद्ध व सक्षम बनाकर जितना कि अन्य जातियाँ हैं, हिन्दू धर्म से वर्ण व्यवस्था समाप्त करके व सभी वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था करके आरक्षण की आवश्यकता को खत्म किया जा सकता है।

8.8.iii आरक्षण-नीति को और अधिक प्रभावशाली व अधिक विस्तृत करने के लिए सुझाव

सुझाव / विकल्प	असहमत	कुछ हद तक सहमत	पूरी तरह सहमत	उत्तर नहीं दिया
1. आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए न कि जाति अथवा धर्म	35 (14.6)	51 (21.3)	144 (60.0)	10 (4.2)
2. केवल अनु.जाति व जनजाति को ही आरक्षण मिलना चाहिए परन्तु केवल दो पीढ़ी तक	72 (30.0)	71 (29.6)	80 (33.3)	17 (7.1)
3. केवल अनु.जाति व जनजाति को यह सुविधा मिलनी चाहिए परन्तु इनमें भी गरीब व शैक्षिक रूप से पिछड़ों को	38 (15.8)	54 (22.5)	130 (54.2)	18 (7.5)
4. अनु. जाति, जनजाति को अपने वर्तमान रूप में आरक्षण जारी रहना चाहिए। अ.पि. वर्ग को भी इसका लाभ मिले	71 (29.6)	77 (32.1)	74 (30.8)	18 (7.5)
5. अनु.जाति, जनजाति व अ.पि.वर्ग के गरीबों, अशिक्षितों को ही इसका लाभ मिले	46 (19.2)	61 (25.4)	118 (49.2)	15 (6.3)
6. अनु.जाति, जनजाति व अ.पि.वर्ग को केवल दो पीढ़ियों तक यह लाभ मिले	64 (26.7)	53 (22.1)	104 (43.3)	19 (7.9)
7. आरक्षण की सुविधा का लाभ किसी भी जाति के केवल गरीबों को मिले	33 (13.8)	38 (15.8)	154 (64.2)	15 (6.3)
8. अन्य धर्मों व धर्मांतरितों को भी इसका लाभ मिले लेकिन उनमें भी सिर्फ गरीबों को	50 (20.8)	63 (26.3)	105 (43.8)	22 (9.2)
9. आरक्षण केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में मिले, सीटों में आरक्षण के रूप में नहीं	66 (27.5)	42 (17.5)	120 (50.0)	12 (5.0)

कुल उत्तरदाता – 240

प्राप्त तालिका से ज्ञात होता है कि 60% उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए न कि जाति अथवा धर्म। 64.2% उत्तरदाता इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि आरक्षण की सुविधा का लाभ किसी भी जाति के केवल गरीबों को मिलना चाहिए जबकि 54.2% का मानना है कि आरक्षण की सुविधा केवल अनुसूचित जाति व जनजाति को ही मिलनी चाहिए तथा उनमें भी यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए जो बहुत गरीब हैं तथा शैक्षिक व व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े हैं। 50% उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में ही दिया जाना चाहिए न कि सीटों में आरक्षण के रूप में।

8.8.iii क श्रेणी के आधार पर

सुझाव	विकल्प	असहमत	कुछ हद तक सहमत	पूरी तरह सहमत	उत्तर नहीं दिया
1. आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए न कि जाति अथवा धर्म	आरक्षित	21 (41.2)	13 (25.5)	15 (29.4)	2 (3.9)
	अनारक्षित	14 (7.4)	38 (20.1)	129 (68.3)	8 (4.2)
2. केवल अनु.जाति व जनजाति को ही आरक्षण मिलना चाहिए परन्तु केवल दो पीढ़ी तक	आरक्षित	23 (45.1)	17 (33.3)	10 (19.6)	1 (2.0)
	अनारक्षित	49 (25.9)	54 (28.6)	70 (37.0)	16 (8.5)
3. केवल अनु.जाति व जनजाति को यह सुविधा मिलनी चाहिए परन्तु इनमें भी गरीब व शैक्षिक रूप से पिछड़ों को	आरक्षित	13 (25.5)	18 (35.3)	19 (37.3)	1 (2.0)
	अनारक्षित	25 (13.2)	36 (19.0)	111 (58.7)	17 (9.0)
4. अनु.जाति, जनजाति को अपने वर्तमान रूप में आरक्षण जारी रहना चाहिए। अ.पि. वर्ग को भी इसका लाभ मिले	आरक्षित	4 (7.8)	19 (37.3)	27 (52.9)	1 (2.0)
	अनारक्षित	67 (35.4)	58 (30.7)	47 (24.9)	17 (9.0)
5. अनु.जाति, जनजाति व अ.पि.वर्ग के गरीबों, अशिक्षितों को ही इसका लाभ मिले	आरक्षित	10 (19.6)	18 (35.3)	22 (43.1)	1 (2.0)
	अनारक्षित	36 (19.0)	43 (22.8)	96 (50.8)	14 (7.4)
6. अनु.जाति, जनजाति व अ.पि.वर्ग को केवल दो पीढ़ियों तक यह लाभ मिले	आरक्षित	20 (39.2)	15 (29.4)	15 (29.4)	1 (2.0)
	अनारक्षित	44 (23.3)	38 (20.1)	89 (47.1)	18 (9.5)

Contd....

सुझाव	विकल्प	असहमत	कुछ हद तक सहमत	पूरी तरह सहमत	उत्तर नहीं दिया
7. आरक्षण की सुविधा का लाभ किसी भी जाति के केवल गरीबों को मिले	आरक्षित	21 (41.2)	15 (29.4)	13 (25.5)	2 (3.9)
	अनारक्षित	12 (6.3)	23 (12.2)	141 (74.6)	13 (6.9)
8. अन्य धर्मों व धर्मांतरितों को भी इसका लाभ मिले लेकिन उनमें भी सिर्फ गरीबों को	आरक्षित	12 (23.5)	26 (51.0)	11 (21.6)	2 (3.9)
	अनारक्षित	38 (20.1)	37 (19.6)	94 (49.7)	20 (10.6)
9. आरक्षण केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में मिले, सीटों में आरक्षण के रूप में नहीं	आरक्षित	38 (74.5)	8 (15.7)	4 (7.8)	1 (2.0)
	अनारक्षित	28 (14.8)	34 (18.0)	116 (61.4)	11 (5.8)

श्रेणी के आधार पर शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद देखने को मिला। अनारक्षित श्रेणी के 74.6% शिक्षक उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण की सुविधा का लाभ किसी भी जाति के केवल गरीबों को ही मिले जबकि 68.3% शिक्षक आरक्षण का आधार गरीबी को बनाना चाहते हैं न कि जाति अथवा धर्म को। इनके 61.4% शिक्षक चाहते हैं कि आरक्षण केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में मिले, सीटों में आरक्षण के रूप में नहीं।

इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के 74.5% शिक्षक उत्तरदाता इससे असहमत हैं कि आरक्षण केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में मिले, सीटों में आरक्षण के रूप में नहीं। इसी प्रकार इनमें ज्यादातर उत्तरदाता आरक्षण का आधार गरीबी को बनाये जाने के सुझाव से भी असहमत हैं। वे इस सुझाव से भी असहमत हैं कि यह लाभ उनकी केवल एक या दो पीढ़ी को ही मिले। इनके लगभग 50% उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण अपने वर्तमान रूप में जारी रहना चाहिए। साथ ही वे चाहते हैं कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी मिले। लगभग इतने ही उत्तरदाता चाहते हैं कि अन्य धर्मों व धर्मांतरितों के गरीबों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

इस प्रकार श्रेणी के आधार पर प्राप्त उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया एक बार फिर यह दर्शाती है कि जहां अनारक्षित श्रेणी के शिक्षक वर्तमान आरक्षण–नीति को समाप्त करने अथवा उसमें सुधार करके उसका आधार गरीबी को बनाये जाने के पक्षधर हैं वहीं आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता इसे अपने वर्तमान रूप में बनाये रखकर इसका विस्तार किये जाने के पक्ष में हैं।

सिंह (1994), **जोशी** (1996) आदि के अध्ययनों व **दलित साहित्य** में यह दर्शाया गया है कि भारतीय समाज, विशेषकर दलितों व आदिवासियों में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है तथा गरीबी ही सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख व महत्वपूर्ण कारण है। शायद इसीलिए अनेकोनेक समाजशास्त्रियों (**देसाई, शाह, बेते, श्रीनिवास** आदि) ने आरक्षण का आधार जाति के स्थान पर अथवा जाति के साथ–साथ गरीबी (अर्थात् आर्थिक स्थिति) को बनाये जाने की सिफारिश की। परन्तु चूंकि भारतीय समाज में गरीबी को परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है (**गेलेन्टर 1984**), अतः केवल गरीबी को आरक्षण का आधार बनाये जाने की मांगें ठुकराई जाती रही हैं। वर्तमान अध्ययन में भी जहां अनारक्षित श्रेणी का शिक्षक आरक्षण का आधार गरीबी को बनाये जाने के पक्ष में है वहीं आरक्षित श्रेणी का शिक्षक इसका विरोध करता है।

8.8.iv सरकार इन वर्गों की सहायता के लिए और क्या कर सकती है अथवा करना चाहिए

उक्त जानकारी के संबंध में कुल 150 उत्तरदाताओं (62.5%) ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिनमें से श्रेणी के आधार पर आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के क्रमशः 35 व 115 उत्तरदाता थे। दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं को लगता है कि सरकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके तथा इस (आरक्षित) श्रेणी के लोगों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके इन वर्गों की और अधिक सहायता कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार की व्यवस्था करके व भूमि का पुनर्वितरण करके तथा आरक्षण–नीति को

ईमानदारी से लागू करके भी सरकार इनकी सहायता कर सकती है। आरक्षित श्रेणी के कुछ शिक्षकों का मानना है कि अन्य (प्राइवेट) नौकरियों में भी आरक्षण सुविधा देकर जबकि अनारक्षित श्रेणी के कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षित श्रेणी में मलाई परत की पहचान करके सरकार इन वर्गों की और अधिक सहायता कर सकती है (**तालिका 8.8.iv, परिशिष्ट II**)।

8.8.v एक शिक्षक के नाते आरक्षण-नीति के संबंध में आपके सुझाव

उक्त जानकारी के संबंध में 151 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिनमें से श्रेणी के आधार पर आरक्षित श्रेणी के 35 व अनारक्षित श्रेणी के 116 उत्तरदाताओं ने अपने विचार व्यक्त किये जिनका विश्लेषण प्रस्तुत भाग में किया गया है। उक्त जानकारी के संबंध में दोनों ही श्रेणियों के शिक्षक चाहते हैं कि वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था, विद्यालय–व्यवस्था व पाठ्यक्रम में अनिवार्य सुधार करके, आरक्षित श्रेणी में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके व शिक्षकों को इनके प्रति संवेदनशील बनाकर सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय व सामाजिक गतिशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को लगता है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्तियों की योग्यता के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके व इनके प्रति पूर्वाग्रह समाप्त करके भी ऐसा किया जा सकता है। इसके विपरीत **अनारक्षित श्रेणी** के शिक्षकों को लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण को समाप्त अथवा सीमित करके, आवेदनों में जाति का उल्लेख बंद करके व स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर ऐसा किया जा सकता है (देखें **तालिका 8.8.v, परिशिष्ट II**)। इस प्रकार जहाँ दोनों श्रेणियों के शिक्षकों ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समान विचार व्यक्त किये वहीं कहीं–कहीं इनके विचार एक बार फिर इनकी जातीय श्रेणी से प्रभावित लगे।

8.9 सारांश

प्रजापति 1982, चिटनिस 1980, वेलास्कर 1986, आदि ने लगभग दो दशक पूर्व अपने अध्ययनों में दर्शाया था कि आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता आरक्षण–नीति को बनाये रखे जाने के पक्ष में हैं। इन अध्ययनों के दो दशक बाद भी आरक्षित श्रेणी के शिक्षित समाज की सोच में बहुत अधिक अंतर नहीं आया है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यह दर्शाता है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक योजनाएँ आरक्षण–नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने व आरक्षित श्रेणी के लोगों की दशा में उस हद तक सुधार अथवा परिवर्तन करने में नाकाम रही हैं जहां उन्हें आरक्षण जैसी सुविधाओं की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। साथ ही हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज के लाभान्वित तबके को इनके प्रति उस हद तक संवेदनशील बनाने में नाकाम रही है जहां वे इनके लिए आरक्षण जैसे उपायों को उचित मानते हुए इस नीति को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग देते।

शोध में प्राप्त नतीजे दर्शाते हैं कि कुल 77.5% उत्तरदाता इस नीति को किसी न किसी रूप में जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। 65.4% उत्तरदाता 'आवश्यक सुधारों' के पश्चात् ही आरक्षण–नीति को जारी रखने के पक्ष में हैं। स्कूलों के ज्यादा उत्तरदाता इस नीति को समाप्त करने के पक्ष में हैं जबकि कालेजों के ज्यादा उत्तरदाता इस नीति को, विशेषकर आवश्यक संशोधनों के पश्चात जारी रखे जाने के पक्ष में हैं।

श्रेणी के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के 28% उत्तरदाता आरक्षण– नीति को पूरी तरह समाप्त किए जाने के पक्ष में हैं जबकि आरक्षित श्रेणी का केवल एक उत्तरदाता ही इस नीति को समाप्त किए जाने के पक्ष में है। आरक्षित श्रेणी के 37.3% उत्तरदाता इस नीति को अपने वर्तमान रूप में, बिना किसी संशोधन के जारी रखे जाने के पक्ष में हैं।

इस नीति को अपने वर्तमान अथवा संशोधित रूप में जारी रखना चाहने वाले कुल उत्तरदाताओं में से कालेजों के ज्यादा उत्तरदाता (48.0%) इस नीति को अधिकतम

अगले बीस वर्षों तक ही जारी रखे जाने के पक्ष में हैं जबकि स्कूलों के ज्यादा शिक्षक (49.2%) इसे 20 वर्षों से अधिक समय तक जारी रखे जाने के पक्ष में हैं। श्रेणी के आधार पर आरक्षित श्रेणी के 88% उत्तरदाता इस नीति को अगले तीस वर्षों से लेकर अनिश्चित काल तक, आरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति होने तक कायम रखे जाने के पक्ष में हैं। अनारक्षित श्रेणी में ऐसा चाहने वाले केवल 30.1% उत्तरदाता ही हैं। अनारक्षित श्रेणी के 49.2% उत्तरदाता इसे केवल अगले दस वर्षों तक ही जारी रखे जाने के पक्ष में हैं।

वर्तमान आरक्षण–नीति में सुधार के संबंध में **आरक्षित श्रेणी** के उत्तरदाता चाहते हैं कि आरक्षण को ईमानदारी से लागू किया जाए व ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाए। उनमें से कुछ आरक्षण में आर्थिक आधार जोड़े जाने के पक्ष में भी हैं ताकि इनकी श्रेणी के जरूरतमंदों के साथ–साथ अनारक्षित श्रेणी के गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके। वे छात्रवृत्ति की राशि व आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाये जाने के पक्ष में भी हैं। कुछ ने जाति –प्रमाण पत्रों की वैद्यता की जाँच करने की बात भी कही। **अनारक्षित श्रेणी** के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति व योग्यता को बनाए जाने की बात कही। कुछ ने सीटों में आरक्षण के बजाए केवल अन्य सुविधाओं के रूप में आरक्षण दिये जाने की बात कही। नौकरी, विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने व आरक्षण का प्रतिशत कम करने की बात भी कुछ उत्तरदाताओं ने कही। कुछ उत्तरदाता चाहते हैं कि इस श्रेणी के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जाये ताकि वे अपना बौद्धिक व सामाजिक विकास कर सकें। अर्थात् जहां आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाता आरक्षण का विस्तार किये जाने के पक्ष में हैं वहीं अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता आरक्षण-सुविधाओं को सीमित करने के पक्ष में हैं।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने अथवा उसमें सुधार करने के पक्ष में क्यों हैं तो दोनों ही श्रेणियों के आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि आरक्षण–नीति का लाभ अभी तक दलितों व पिछड़ों के उस कमजोर तबके तक नहीं पहुँचा है जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। आरक्षित श्रेणी

के ज्यादातर उत्तरदाता नहीं मानते कि उन्हें भविष्य में आरक्षण–नीति की आवश्यकता नहीं रही अथवा आरक्षण–नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रही है जबकि अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता यह नहीं मानते कि आरक्षण के कारण दलितों व पिछड़ों पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है।

आरक्षण–नीति के समाज पर नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद दिखलाई पड़ा। यद्यपि दोनों श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाता इससे सहमत हैं कि अब अन्य समुदाय के लोग भी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने आपको पिछड़ा कहलवाना पसंद करने लगे हैं परन्तु जहां अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण–नीति के कारण जातिवाद बढ़ रहा है, इससे उच्च जातियों के गरीब व योग्य व्यक्तियों में असंतोष बढ़ रहा है, इससे दलितों व पिछड़ों में भी आर्थिक आधार पर कई वर्ग बन गये हैं तथा इन जातियों का उच्च वर्ग अपनी ही जाति के निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है वहीं आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। आरक्षित श्रेणी में इस नीति को एक पक्षपातपूर्ण व अनुचित उपाय मानने वाला एक भी शिक्षक नहीं है। इस कथन कि आरक्षण–नीति इन समुदायों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रही है तथा यह इनको अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर बना रही है, से भी आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता असहमत हैं।

आरक्षण व्यवस्था के अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफलता के कारणों के संदर्भ में भी श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतभेद दिखलाई पड़ा। यद्यपि दोनों श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाता इससे सहमत हैं कि इस नीति का राजनीतिकरण हो गया है परन्तु आरक्षित श्रेणी के 41.2% उत्तरदाता इस कथन से असहमत हैं कि यह नीति अपने आप में ही (संरचनात्मक रूप से) दोषपूर्ण व अधूरी है जबकि अनारक्षित श्रेणी के 43.9% उत्तरदाता ऐसा मानते हैं। आरक्षित श्रेणी के 66.7% उत्तरदाता मानते हैं कि यह नीति तो ठीक है परन्तु इसका कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हुआ है जबकि इनके 64.7% मानते हैं कि संबंधित अधिकारी वर्ग द्वारा इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू

करने की अनिच्छा के कारण यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी तथा इनमें शिक्षा व प्रचार की कमी को इस नीति की असफलता का कारण मानने वाले आरक्षित व अनारक्षित दोनों के लगभग 75% उत्तरदाता हैं। अतः आरक्षण-नीति की अपने उद्देश्य पूर्ति में असफलता के कुछ कारणों के संदर्भ में दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं में मतैक्य है जबकि कुछ कारणों के संदर्भ में दोनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में अंतर पाया गया। ऐसे कारणों जिनसे अनारक्षित श्रेणी के लोग इस नीति की असफलता के लिए दोषी ठहराये जा सकते थे, से आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता सहमत पाये गये जबकि ऐसे कारणों जिनमें आरक्षण–नीति अथवा आरक्षित समूह स्वयं दोषी ठहराये जा सकते थे, से सहमत होने वाले ज्यादा उत्तरदाता अनारक्षित श्रेणी के हैं।

वर्तमान आरक्षण–नीति की कमियों के संदर्भ में श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतैक्य देखने को मिला। दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि इसमें प्रमुख कमी यह है कि अभी तक वास्तविक हकदारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि दूसरी कमी इसमें यह है कि इसमें निर्गम अर्थात् आरक्षण समाप्त किये जाने की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण एक ही जाति के लोग आरक्षण का सर्वाधिक लाभ ले रहे हैं।

वे कमियाँ, जिनके कारण आरक्षित समूहों के ज्यादातर लोग आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पाते, के संदर्भ में कहीं–कहीं श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में मतैक्य देखने को मिला। दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि ऐसा मार्गदर्शन की कमी के कारण हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रमुख कारण बचपन में उचित सुविधाओं की कमी व आरक्षण के प्रति इनमें सही दृष्टिकोण का अभाव है। इनमें बुद्धि की कमी को दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने इसका प्रमुख कारण नहीं माना है परन्तु ऐसे ज्यादा उत्तरदाता (76.5%) आरक्षित श्रेणी के हैं।

आरक्षित श्रेणी के 80.4% उत्तरदाताओं ने माना है कि राजनीति में आरक्षण सुविधा से उनकी परिस्थिति में फ़र्क पड़ा है। अनारक्षित श्रेणी के भी 57.1% ऐसा मानते हैं परन्तु इनके 22.8% उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। इस संबंध में कि आरक्षण सुविधा के बावजूद दलितों व पिछड़ों की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्थिति में कोई अथवा महत्वपूर्ण फ़र्क क्यों नहीं पड़ा है, आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर नमूना शिक्षकों ने इसके लिए उच्च जातियों की महत्वकांक्षा, इन सुविधाओं के प्रति इस श्रेणी के लोगों की अज्ञानता व अनभिज्ञता तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की अनिच्छा को प्रथम व प्रमुख कारण माना है जबकि इनकी पारंपरिक मान्यताओं (गरीबी, अशिक्षा, धार्मिक रीतिरिवाज़, आदि) को इन्होनें दूसरा प्रमुख कारण माना है। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता इसका प्रमुख कारण इन सुविधाओं के प्रति इस श्रेणी के लोगों की अज्ञानता व अनभिज्ञता, इनकी पारंपरिक मान्यताओं व इनमें सही नेतृत्व के अभाव को मानते हैं।

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् समाज के विभिन्न समूहों के बीच आपसी संबंधों को लेकर श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में अंतर परिलक्षित हुआ। अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के पश्चात विभिन्न जातियों, धर्मों, दलितों व गैर दलितों, सवर्णों व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अपनी ही जाति के अमीर व गरीब लोगों के बीच संबंधों में दूरियाँ बढ़ी है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते।

इस कथन के संदर्भ में कि आरक्षित श्रेणी का अभिजन वर्ग एक खास सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात अपने ही समुदाय के लोगों से दूरी बनाए रखना शुरू कर देते हैं, अनारक्षित श्रेणी के आधे से अधिक उत्तरदाता (59.3%) सहमत हैं जबकि आरक्षित श्रेणी के 43.1% उत्तरदाता इस बात से आंशिक रूप से ही सहमत हैं।

इस कथन से कि अब व्यवसाय बदलने से भारतीय हिन्दू समाज में जाति के नियम व बंधन कमजोर हो गए हैं, अनारक्षित श्रेणी के 35.4% उत्तरदाता पूरी तरह सहमत हैं जबकि आरक्षित श्रेणी के 21.6% उत्तरदाता इससे असहमत हैं। दोनों ही श्रेणियों के लगभग 53% उत्तरदाता उक्त कथन से आंशिक रूप से ही सहमत हैं जो यह दर्शाता है कि भारतीय समाज में जाति के नियम व बंधन आज भी कठोर हैं। भारतीय समाज से जाति के नियम व बंधन कमजोर होने के लिए दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने शिक्षा के प्रसार को प्रमुख जिम्मेदार कारक माना है। शहरीकरण को अनारक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाताओं ने इसके लिए जिम्मेदार माना परन्तु राजनीति व कानूनों के प्रभाव को दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना है।

इस कथन से कि भारतीय समाज में अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा के द्वारा जातिवाद व सामाजिक असमानता जैसी बुराईयों को समाप्त किया जा सकता है, आरक्षित श्रेणी के 43.1% उत्तरदाता पूरी तरह सहमत हैं परन्तु अनारक्षित श्रेणी के 28% उत्तरदाता इससे असहमत हैं। अर्थात् आरक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय विवाह भारतीय समाज से जातिवाद व सामाजिक असमानता जैसी बुराइयों को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता इस संबंध में बंटे हुए हैं। आरक्षित श्रेणी के 66.7% उत्तरदाता अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी जाति से निम्न जाति के व्यक्ति के साथ अन्तर्जातीय विवाह करने की अनुमति खुशी से देंगे। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के केवल 37.6% उत्तरदाता ही अन्तर्जातीय विवाह के लिए खुशी से अनुमति देंगे जबकि 24.3% मजबूरी में इसकी अनुमति देंगे। अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाता अभी भी अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं हैं।

इस संदर्भ में कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज के अन्य समुदायों व वर्गों को भी ऐसी ही सुविधाओं (आरक्षण) की आवश्यकता है, फिर भी ये सुविधाएं जाति के आधार पर

केवल अनु.जाति व जनजाति को देना क्या उचित है, आरक्षित श्रेणी के 62.7% उत्तरदाताओं ने कहा कि यह उनके शोषण को देखते हुए उचित है। अनारक्षित श्रेणी के 45% उत्तरदाता इसे शिक्षा में तो उचित मानते हैं परन्तु रोजगार में नहीं जबकि 18% इसे रोजगार की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अनुचित मानते हैं। इनके 18% उत्तरदाता इसे हर क्षेत्र में अनुचित मानते हैं।

नौकरी में नियुक्ति के दौरान 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को भी अनु.जाति व जनजाति के समान आरक्षण सुविधा दिये जाने के पक्ष में आरक्षित श्रेणी के 54.9% तथा अनारक्षित श्रेणी के 48.7% उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति दर्शाई। रोज़गार की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण दिये जाने के पक्ष में दोनों ही श्रेणियों के क्रमशः 68.6% व 52.9% उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति दर्शाई। अतः 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण दिये जाने के संबंध में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षित समूह के ज्यादा उत्तरदाताओं ने उदारवादी रूख अपनाते हुए उनके पक्ष में अपनी राय प्रकट की जबकि अनारक्षित श्रेणी के लगभग 40% उत्तरदाता आज भी दोनों ही क्षेत्रों में उनको आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध हैं।

प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण दिये जाने के संबंध में आरक्षित श्रेणी के 66.7% उत्तरदाता मानते हैं कि यह सुविधा उनके लिए लाभदायक रहेगी। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 58.7% उत्तरदाता प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह देश के विकास व औद्योगिकरण, दोनों में बाधक होगी। अनारक्षित श्रेणी के लगभग 75% उत्तरदाता विश्वविद्यालय स्तर के अकादमिक पदों व सुरक्षा सेवाओं की नौकरियों में आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध हैं जबकि आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता इनमें, विशेषकर विश्वविद्यालय के अकादमिक पदों पर नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के पक्ष में हैं।

शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण के संबंध में आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता इन कथनों से सहमत हैं कि शिक्षा में, विशेषकर हर प्रकार की शिक्षा में व शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर तथा नौकरी के भी हर स्तर पर (पदोन्नति में भी) आरक्षण सुविधा मिलनी चाहिए। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता केवल शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर सामान्य शिक्षा के प्रथम डिग्री कोर्स में ही आरक्षण दिये जाने के पक्ष में हैं। वे व्यावसायिक शिक्षा व नौकरी, विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध हैं।

आरक्षित श्रेणी के 52.1% उत्तरदाताओं ने माना कि शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा में इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षा भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है जबकि इनके 22.9% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को तेज कर देती है। अनारक्षित श्रेणी में भी यद्यपि 28% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा भेदभाव व शोषण के विरूद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान करती है परन्तु इस श्रेणी के 21.9% उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा नौकरियों के लिए प्रवेश की योग्यता को बढ़ाती है।

पदोन्नति में आरक्षण न चाहने वाले कुल उत्तरदाताओं में से आरक्षित श्रेणी के 52.4% उत्तरदाताओं ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण से इस समुदाय के लोगों को दोहरा लाभ हो जायेगा जबकि अन्य लोग इसमें पिछड़ जायेगें। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के ज्यादा उत्तरदाताओं (50%) ने कहा कि इससे योग्यता व ईमानदारी की अनदेखी होती है।

आरक्षित श्रेणी के 88.2% उत्तरदाता चाहते हैं कि शिक्षा व नौकरी दोनों में आरक्षण मिलना चाहिए। केवल एक क्षेत्र में दिया गया आरक्षण अधूरा होगा। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के 71.4% उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। ऐसा मानने वालों से जब इसका कारण पूछा गया तो आरक्षित श्रेणी के लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि रोजगार में आरक्षण न होने पर उच्च जातियों के चयनकर्त्ता उन्हें नौकरी नहीं लेने देंगें

जबकि अन्यों ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए तथा नौकरी के लिए शिक्षा की आवश्यकता के मद्देनज़र दोनों ही क्षेत्रों में आरक्षण के पक्ष में अपनी राय प्रकट की। अनारक्षित श्रेणी में ऐसा चाहने वाले ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि नौकरी की आवश्यक शर्त शिक्षा है तथा नौकरी में आरक्षण के लालच में ही ये लोग शिक्षा प्राप्त करेंगें। साथ ही शिक्षा व नौकरी दोनों में आरक्षण से उनकी बौद्धिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, अतः दोनों ही क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए।

आरक्षित श्रेणी के 72.5% उत्तरदाताओं ने माना कि शिक्षा व आरक्षण—नीति के लक्ष्यों में सामंजस्य है जबकि अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता या तो इनमें सामंजस्य देखते हैं अथवा इन्हें एक दूसरे की विरोधी मानते हैं। इस श्रेणी के 28% उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई। आरक्षित श्रेणी के 90.2% उत्तरदाता मानते हैं कि आरक्षण—नीति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रूकावट पैदा नहीं करती है। अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता इस संदर्भ में बँटे हुए हैं। इस श्रेणी के लगभग आधे उत्तरदाता (47.1%) मानते हैं कि आरक्षण—नीति शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रूकावट पैदा करती है।

परन्तु इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक रही है, आरक्षित व अनारक्षित दोनों श्रेणियों के क्रमशः 41.2% व 47.1% उत्तरदाताओं ने एकमत से माना कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं रही है ज़बकि दोनों श्रेणियों के क्रमशः 41.2% व 35.4% उत्तरदाता मानते हैं कि यह किसी हद तक ही सहायक रही है।

आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी व्यवस्था करके, अर्थात् पब्लिक व सरकारी स्कूलों के अंतर को खत्म करके वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आरक्षण के उद्देश्यपूर्ति में सहायक बनाया जा सकता है जबकि अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कहा कि ऐसा पिछड़ों व दलितों में शिक्षा का प्रचार करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि ऐसा अध्यापकों को सामाजिक विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाकर,

पाठ्यचर्या निर्माण में इन जातियों को महत्व देकर तथा सभी स्कूलों से अंग्रेजी समाप्त कर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था करके किया जा सकता है।

अनारक्षित श्रेणी के 66.1% उत्तरदाता मानते हैं कि भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है जबकि आरक्षित श्रेणी के 58.8% उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं में से आरक्षित व अनारक्षित दोनों श्रेणियों के क्रमशः 85% व 90.4% उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण की आवश्यकता को उचित शैक्षिक व आर्थिक नीतियां बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था करके व प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके भी ऐसा किया जा सकता है। कुछ उत्तरदाताओं ने माना कि ऐसा अन्य तरीकों जैसे – जाति की पहचान खत्म करके, व्यवस्था में राजनीति को समाप्त करके, समान परिस्थितियों में समान शिक्षा आदि के द्वारा किया जा सकता है।

आरक्षण–नीति को और अधिक प्रभावशाली व विस्तृत बनाने के लिए अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कहा कि इसके लिए आरक्षण का आधार जाति व धर्म के स्थान पर गरीबी (आर्थिक) को बनाकर, प्रत्येक जाति के केवल गरीब लोगों को ही आरक्षण सुविधा देकर व सीटों में आरक्षण के स्थान पर केवल आर्थिक सुविधाओं के रूप में आरक्षण देकर किया जा सकता है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि अनु.जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा को इसके वर्तमान रूप में जारी रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करके ऐसा किया जा सकता है। वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी को बनाया जाये अथवा आरक्षण इनकी केवल एक पीढ़ी को मिले अथवा आरक्षण केवल अन्य सुविधाओं के रूप में ही मिले।

दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार को इन वर्गों की सहायता के लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने चाहिए। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार को ईमानदारी से आरक्षण–नीति लागू करनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को इसे लागू न करने पर दंडित किया जाये, अन्य

क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाये तथा गांवों व पिछड़े इलाको में उद्योगों का विकास व भूमि का पुनर्वितरण किया जाये। अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार को इनकी सहायता के लिए छुआछूत उन्मूलन कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, भूमि व उत्पादन के बजाए केवल अन्य सुविधाओं के रूप में ही आरक्षण देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ केवल जरूरतमंद को ही मिले।

शिक्षक होने के नाते भी आरक्षण–नीति के संबंध में दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने लगभग उपरोक्त वर्णित सुझाव ही दिये हैं ताकि संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ–साथ विभिन्न श्रेणियों के बीच जातीय विद्वेष को भी समाप्त किया जा सके। इसके लिए दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने कुछ और सुझाव भी दिये जैसे समाज में आरक्षण–नीति व आरक्षित समूहों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाये, अन्य जातियों के गरीबों को भी इसका लाभ मिले, आरक्षित श्रेणियों में मलाई परत की पहचान की जाये, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाये तथा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाये।

अतः उत्तरदाता की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष उभर कर आता है कि शिक्षित होने के बावजूद आरक्षण-नीति के संबंध में उत्तरदाता की प्रतिक्रिया उनकी जातीय श्रेणी से ही नियंत्रित होती है। उनकी शिक्षा व पद भी इस संदर्भ में उनके विचारों को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के संबंध में शिक्षकों की प्रतिक्रिया व सुझावों को जाना गया। अगले अध्याय में आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों से इस नीति को लेकर उनके अनुभवों को जाना गया है।